

आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ



यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउन्सिलिंग-2025

U.P. AYUSH U.G. Counselling-2025

वेबसाइट- <https://upayushcounseling.upsdc.gov.in>

Help Line No. (Mob.)- 7376520591, 7376524687

Email Id- upug.ayushcounseling@gmail.com

विवरण पुस्तिका (Brochure)

शैक्षणिक सत्र (Academic year) 2025-26

उत्तर प्रदेश राज्य के आयुष विधा के राजकीय महाविद्यालयों/निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थाओं में आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी के यू0जी0 पाठ्यक्रम (बी0ए0एम0एस0, बी0यू0एम0एस0, बी0एच0एम0एस0) में प्रवेश हेतु।

For the admission in UG courses (BAMS, BUMS & BHMS) of Ayurveda, Unani & Homocopathy in Government Colleges /Private Colleges, State Universities/Minority Institutions.

शासनादेश संख्या-3380/96-आयुष-1-2025-ई0पत्रा0-1935148, आयुष अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 26 अगस्त, 2025 के अनुक्रम में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुष (आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी) मेडिकल कालेजों में यू0जी0 कोर्स (बी0ए0एम0एस0, बी0यू0एम0एस0, बी0एच0एम0एस0) में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

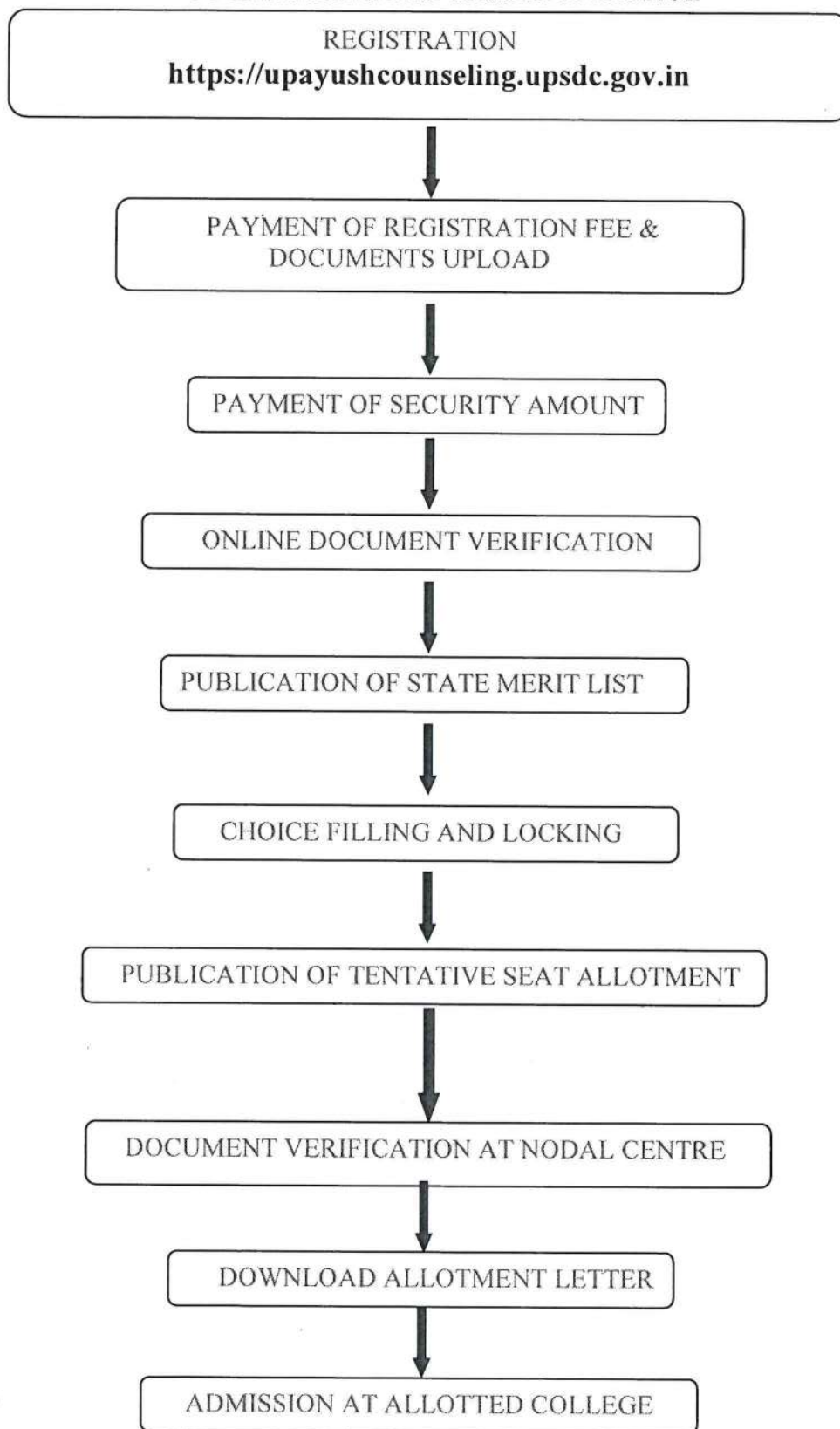
[Handwritten signatures and marks in blue ink]

अनुक्रमणिका

क०सं०	विषय	पृष्ठ सं०
1	फलो चार्ट	03
2	अर्हतायें	04-05
3	आरक्षण एवं सम्बन्धित दिशा निर्देश	05-06
4	पंजीकरण प्रक्रिया	06-07
5	धरोहर धनराशि	07
6	अभिलेखों की सत्यापन प्रक्रिया	08-09
7	च्वाईस फिलिंग	09
8	काउन्सिलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया	09-11
9	त्याग पत्र के सम्बन्ध में दिशा निर्देश	12
10	आयुष कालेजों का शुल्क विवरण	12
11	सहायता केन्द्र (HELP DESK)	13
12	विविध	14
13	कालेजवार स्वीकृत सीटों का विवरण	15-23
14	सामान्य निवास प्रमाण-पत्र का शासनादेश एवं प्रारूप (अनुलग्नक-1)	24-29
15	अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची एवं प्रमाण-पत्र का प्रारूप (अनुलग्नक-2)	30-33
16	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जातियों की सूची एवं प्रमाण-पत्र का प्रारूप (अनुलग्नक-3)	34-36
17	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण-पत्र का प्रारूप (अनुलग्नक-4)	37-38
18	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का शासनादेश एवं प्रमाण पत्र का प्रारूप (अनुलग्नक-5)	39-40
19	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले केन्द्रों की सूची एवं प्रारूप (अनुलग्नक-6)	41-47
20	एन०सी०सी० प्रमाण पत्र का प्रारूप (अनुलग्नक-7)	48
21	भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के प्रमाण पत्र का प्रारूप (अनुलग्नक-8)	49
22	आयुष महाविद्यालयों के सम्पर्क सूत्र एवं हाईपरलिंक (अनुलग्नक-9)	50-63

1. फ्लो चार्ट (Flow Chart)

COUNSELLING PROCESS AT A GLANCE



[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

2. अर्हतायें (Eligibility)

- 2.1 ऐसे अभ्यर्थी, जो नीट यू0जी0 2025 की परीक्षा में अर्ह घोषित हुये हो तथा यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग-2025 की अधिकृत वेबसाइट पर पंजीकरण कराया हो।
- 2.2 बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0 हेतु इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलोजी) विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- 2.3 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने नीट यू0जी0 2025 की परीक्षा में निम्नलिखित न्यूनतम परसेन्टाइल (Percentile) अंक प्राप्त किये हों।

1-अनारक्षित श्रेणी	न्यूनतम 50 परसेन्टाइल अंक
2-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्लू0एस0) के अभ्यर्थी हेतु	
3-अनारक्षित श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी हेतु	न्यूनतम 45 परसेन्टाइल अंक
4-आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग) के अभ्यर्थी हेतु	न्यूनतम 40 परसेन्टाइल अंक
5-आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग) के दिव्यांग अभ्यर्थी हेतु	

- 2.4 भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा यदि अर्हता में परिवर्तन किया जाता है तो वह मान्य होगा।
- 2.5 प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक कालेजों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उ0प्र0 का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस निमित्त जिन अभ्यर्थियों ने हाईस्कूल अथवा समकक्ष एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएँ उ0प्र0 से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए डोमिसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।
- 2.6 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाईस्कूल अथवा समकक्ष एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षाओं में से कोई भी एक अथवा दोनो परीक्षाएँ यदि उ0प्र0 से बाहर उत्तीर्ण की हो तथा उ0प्र0 राज्य का मूल निवासी है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत उ0प्र0 के निवासी होने का (डोमिसाइल/सामान्य निवास) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से हाईस्कूल अथवा समकक्ष एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण अभ्यर्थी को भी निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 2.7 निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थाओं की सभी सीटों पर प्रवेश हेतु उ0प्र0 राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं होगा। भारत के अन्य प्रदेशों से हाईस्कूल अथवा समकक्ष एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह होंगे।
- 2.8 निजी क्षेत्र के आयुष कालेजों में स्टेट कोटे (85 प्रतिशत) की सभी सीटें सभी प्रदेशों के अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध होंगी। स्टेट कोटों की 85 प्रतिशत सीटों पर उ0प्र0 के मूल निवासी अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण नियमों के अन्तर्गत नीट 2025 की मेरिट में न्यूनतम परसेन्टाइल अनुमन्य होंगे। उ0प्र0 के अतिरिक्त अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों हेतु एन0टी0ए0 द्वारा जारी अनारक्षित वर्ग का कटऑफ स्कोर अनुमन्य होगा।

- 2.9 निजी क्षेत्र के आयुष कालेजों में यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग-2025 के प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में 15 प्रतिशत आल इण्डिया कोटे की सीटें सभी प्रदेशों (उत्तर प्रदेश को छोड़कर) के अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध होंगी। अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित प्रदेश का आरक्षित श्रेणी का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर आल इण्डिया के आरक्षण नियमों (ए0ए0सी0सी0सी0 2025 के ब्रोशर में उल्लिखित) के अनुसार आरक्षित श्रेणी का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर नीट 2025 की मेरिट में न्यूनतम परसेंटाईल अनुमन्य होंगे।
- 2.10 ऐसे अभ्यर्थी जो आयुष एडमिशन सेंटरल काउंसिलिंग कमेटी (AACCC-2025) द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एवं स्ट्रे वैकेन्सी चक्र की काउंसिलिंग के उपरान्त निर्गत अनर्ह सूची में सम्मिलित होंगे, वह अभ्यर्थी काउन्सिलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे।
- 2.11 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र की काउंसिलिंग से जिन अभ्यर्थियों को कोई भी सीट आवंटित हुई हो, ऐसे अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेन्सी चक्र हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- 2.12 आयु-31 दिसम्बर 2025 या उस के पूर्व अभ्यर्थी ने 17 वर्ष आयु पूर्ण कर ली हो। अधिकतम आयु सीमा प्रतिबन्धित नहीं है।

समस्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि	दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 अथवा उससे पूर्व की होनी चाहिये।
-------------------------------	---

3. आरक्षण (Reservation)

- 3.1 यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग-2025 हेतु आरक्षण-शासनादेश संख्या-3380/96-आयुष-1-2025-ई0पत्रा0-1935148 दिनांक 26.08.2025 के अनुसार अनुमन्य होंगे।
- 3.2 राजकीय क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी एवं होम्योपैथिक कालेजों में आरक्षण:-उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत प्रदेश के मूल निवासियों को निम्नानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा:-

(क) उर्ध्वाधर आरक्षण (वर्टिकल)

1	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत
4	आर्थिक रूप से कमजोर (E.W.S.) वर्ग के अभ्यर्थी	10 प्रतिशत

(ख) क्षैतिज आरक्षण (हॉरिजेन्टल)

1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिये	02 प्रतिशत
2	भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों के लिये	02 प्रतिशत
3	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये	05 प्रतिशत
4	महिला अभ्यर्थियों के लिये	20 प्रतिशत
5	एन0सी0सी0 कैडेट के लिये (न्यूनतम 'बी' ग्रेडिंग सहित 'सी' सर्टिफिकेट)	01 प्रतिशत

- 3.3 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (O.B.C.) श्रेणी हेतु दिनांक 01 अप्रैल, 2025 या उसके बाद का निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
- 3.4 आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रमाण-पत्र (दिव्यांगता एवं एन0सी0सी0 प्रमाण-पत्र को छोड़कर) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे।

- 3.5 भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र के प्रपत्र पर आरक्षण मान्य नहीं होगा।
- 3.6 दिव्यांगजनों के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के निशक्त जन अधिनियम-2016 के प्राविधानानुसार 05 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण दिये जाने के प्राविधान के अनुसार प्रदान किया जायेगा और दिव्यांगजन उप श्रेणी का प्रमाण पत्र जो कि आयुष एडमीशन सेन्ट्रल काउंसिलिंग कमेटी (ए.ए.सी.सी.सी.-2025) हेतु भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित केन्द्रों से निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 3.7 एन0सी0सी0 नेशनल कैडेट कोर (National Cadet Corps) प्रमाण पत्र (सी सर्टिफिकेट न्यूनतम बी ग्रेडिंग के साथ) हेतु निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी (महानिदेशक/उप-महानिदेशक) द्वारा जारी हो, ही मान्य होगा।
- 3.8 कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-18/1/2008-का-2-2015, दिनांक 21.04.2015 के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) में प्राविधानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित-पुत्र, पुत्री, पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी अर्थात जिलाधिकारी द्वारा ही निर्गत आश्रित प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
- 3.9 उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आने वाली कतिपय जातियाँ भारत सरकार में अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित हैं। यह सम्भावना है कि NEET यू0जी0-2025 के आवेदन के समय उ0प्र0 राज्य के कुछ अभ्यर्थियों द्वारा अपनी जाति अनारक्षित श्रेणी में दर्शा दी गई हो। अतः उत्तर प्रदेश राज्य की नीट यू0जी0-2025 की काउंसिलिंग हेतु जारी किए जाने वाले ब्रोशर में उल्लिखित जातियों के अनुसार ही उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को उक्त श्रेणी का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3.10 शासनादेश संख्या-22 सी0एम0(1)/26.03.2013 दिनांक 10.06.2013 द्वारा विमुक्त जाति के आरक्षण के संबंध में शासनादेश के बिन्दु संख्या-03 एवं 04 में निम्न व्यवस्था की गयी है :-
- बिन्दु संख्या-3** जहाँ तक विमुक्त जातियों को आरक्षण की सुविधा की अनुमन्यता का प्रश्न है कि विमुक्त जाति के अन्तर्गत आने वाली जो जातियाँ अनुसूचित जाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत हैं, उन्हें तदनुरूप उक्त वर्गों हेतु अनुमन्य आरक्षण की सुविधा प्रदत्त होगी।
- बिन्दु संख्या-4** यह स्पष्ट किया जाता है कि विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के नाम से आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं है, अपितु जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि विमुक्त जातियों की सूची में अंकित वह जातियाँ जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित हैं, उन्हें उक्त जाति का आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।
- 3.11 स्पेशल अपील संख्या-689/2015 सुरेन्द्र कुमार कावंत बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश में विस्थापित होकर आये अभ्यर्थियों को यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग-2025 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

4. पंजीकरण प्रक्रिया (Registration)

- 4.1 पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी आयुष काउंसिलिंग की अधिकृत वेबसाइट <https://upayushcounseling.upsdc.gov.in> पर लॉगिन करते हुये नीट यू0जी0-2025 के रोल नं0 एवं एप्लीकेशन नं0 का प्रयोग करेंगे तथा स्क्रीन पर दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजीकरण फार्म भरेंगे।
- 4.2 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आयुष काउंसिलिंग की वेबसाइट पर पंजीकरण फार्म स्वयं भरे। एजेण्ट या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा पंजीकरण फार्म न भरवायें, साथ ही पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी अपने स्वयं के मोबाइल नम्बर एवं ईमेल आईडी0 का ही प्रयोग करें, क्योंकि ओ0टी0पी0 आदि सूचनायें उन्हीं पर प्राप्त होगा।

- 4.3 पोर्टल पर लॉगिन करने के पश्चात् अभ्यर्थी का नाम, माता/पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी/उपश्रेणी, पता, मोबाइल नम्बर, ईमेल आईडी0 इत्यादि अंकित करना होगा।
- 4.4 पंजीकरण फार्म भरने के पश्चात् अभ्यर्थी को एक पासवर्ड बनाना होगा। इस पासवर्ड का प्रयोग अभ्यर्थी द्वारा समय-समय पर किया जायेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी व्यक्ति से साझा न करें।
- 4.5 काउन्सिलिंग के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग हेतु आनलाइन पंजीकरण करते समय अभ्यर्थी को ₹0 2,000 /- (रुपये दो हजार) मात्र आनलाइन प्रक्रिया (गेटवे के माध्यम से) द्वारा पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा।
- 4.6 स्ट्रे वैकेंसी चक्र हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने वर्ष-2025 की काउन्सिलिंग में पंजीकरण नहीं कराया है उन्हें पंजीकरण शुल्क ₹0 2,000 /- (रुपये दो हजार) मात्र देय होगा।
- 4.7 प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चक्र में जिन अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण कराया गया हो, परन्तु उन्हें कोई सीट आवंटित नहीं हुई हो, यदि ऐसे अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेंसी चक्र में प्रतिभाग करना चाहते हों तो उन्हें पुनः पंजीकरण कराते हुये ₹0 1,000 /- (एक हजार) मात्र पंजीकरण शुल्क पृथक से देय होगा।
- 4.8 पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं (Non refundable) किया जायेगा।
- 4.9 पंजीकरण के पश्चात् अभ्यर्थी को पंजीकरण फार्म एवं पंजीकरण शुल्क की रसीद डाउनलोड करनी होगी।

5. धरोहर धनराशि (Security Money) एवं भुगतान की प्रक्रिया

- 5.1 धरोहर धनराशि जमा करने के पूर्व अभ्यर्थी काउन्सिलिंग हेतु अपनी अर्हता स्वयं जाँच ले।
- 5.2 पंजीकरण कराते समय अभ्यर्थी को ऑनलाइन माध्यम से धरोहर धनराशि भी जमा करना अनिवार्य होगा। इसका लिंक पोर्टल पर तत्समय उपलब्ध कराया जायेगा।
- 5.3 धरोहर धनराशि के भुगतान का विवरण निम्नवत् है:-

विकल्प	धरोहर धनराशि
केवल राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों हेतु (For Government Colleges only)	₹0 20,000 /- (रुपये बीस हजार मात्र)
केवल निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों की 15 प्रतिशत आल इण्डिया कोटा/85 प्रतिशत राज्य कोटा की सीट हेतु (For Private Colleges only)	₹0 50,000 /- (रुपये पचास हजार मात्र)
राजकीय एवं निजी क्षेत्र दोनों प्रकार के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों हेतु (For Government & Private Colleges both)	

- 5.4 धरोहर धनराशि जमा करने के उपरान्त ही अभ्यर्थी च्वाईस फिलिंग हेतु अर्ह होगा।
- 5.5 धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात् अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि की रसीद डाउनलोड करनी होगी।
- 5.6 आयुष महाविद्यालय में प्रवेशित/अनावंटित अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि सभी चक्रों की काउन्सिलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् नियमानुसार वापस कर दी जायेगी।
- 5.7 अभ्यर्थी की धरोहर धनराशि उसी बैंक खाते में गेटवे के माध्यम से वापस की जायेगी जिस बैंक खाते से अभ्यर्थियों द्वारा धरोहर धनराशि का आनलाईन भुगतान किया गया हो।
- 5.8 अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि धरोहर धनराशि का भुगतान अपने अथवा अपने माता/पिता के बैंक खाते से ही करें, साइबर कैंफे अथवा किसी अन्य माध्यम से भुगतान न करें, जिससे रिफण्ड के समय किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सकें। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी हेतु स्वयं जिम्मेदार होगा।

6. अभिलेखों का सत्यापन (Document Verification) प्रक्रिया

यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग-2025 में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन आनलाइन एवं भौतिक रूप से कराया जायेगा।

(क) आनलाइन सत्यापन-यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग-2025 में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन आनलाइन कराया जायेगा, जिस हेतु अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित अभिलेख पंजीकरण के समय वेबसाइट पर अपलोड किये जायेंगे।

1. हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण-पत्र।
2. इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा का अंक-पत्र।
3. नीट यू0जी0-2025 स्कोर कार्ड।
4. आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
5. डोमिसाइल सर्टिफिकेट शासनादेश के अनुसार (यदि लागू हो)।
6. अभ्यर्थियों का आधार प्रमाणीकरण कराया जायेगा। आधार उपलब्ध न होने अथवा प्रमाणीकरण न हो पाने की स्थिति में ड्राइविंग लाईसेन्स/पासपोर्ट/पैन कार्ड/फोटो युक्त बैंक पासबुक/अन्तिम शैक्षणिक संस्था से निर्गत फोटोयुक्त पहचान-पत्र अपलोड करना होगा।

अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों के आनलाइन सत्यापन के उपरान्त समस्त सत्यापित (Verified) अभ्यर्थियों की स्टेट मेरिट लिस्ट (State Merit List) काउन्सिलिंग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी। इसके पश्चात अभ्यर्थी को च्वाइस फिलिंग करना होगा, तदोपरान्त प्रोविजनल सीट आवंटन (Provisional Seat Allotment) सूची जारी की जायेगी। प्रोविजनल सीट आवंटित अभ्यर्थी को ही भौतिक सत्यापन की कार्यवाही सम्पन्न करानी होगी।

(ख) भौतिक सत्यापन- अर्हता से संबंधित अभिलेखों के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही काउन्सिलिंग स्थल (नोडल सेन्टर) राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, हैनीमैन चौराहा, गोमतीनगर, लखनऊ तथा आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय करायी जायेगी। उक्त हेतु अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अभिलेख, मूलरूप में एवं स्वप्रमाणित एक-एक छायाप्रति सहित निर्धारित समय, तिथि एवं स्थान पर स्वयं उपस्थित होना होगा।

1. NEET यू0जी0-2025 का प्रवेश पत्र व स्कोर कार्ड।
2. हाईस्कूल अथवा समकक्ष एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष के अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
3. सामान्य निवास प्रमाण-पत्र/मूल निवास प्रमाणपत्र जो उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।
4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आरक्षण के दावे से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाणपत्र- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों/भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित/दिव्यांगता सम्बन्धी प्रमाण पत्र/एन0सी0सी0 सर्टिफिकेट।
5. एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो उसी निगेटिव से बना हो जिसे अभ्यर्थी ने नीट यू0जी0-2025 की परीक्षा के समय अपलोड किया हो।
6. पहचान पत्र (ड्राइविंग लाईसेन्स/फोटोयुक्त बैंक पासबुक/पैनकार्ड/पासपोर्ट/अन्तिम शैक्षणिक संस्था से निर्गत फोटोयुक्त पहचान पत्र)। जिन अभ्यर्थियों का पंजीकरण के समय किन्हीं कारणों से आधार प्रमाणीकरण नहीं हो सका है, ऐसे अभ्यर्थी भौतिक सत्यापन के समय आधार कार्ड के साथ उपस्थित होंगे।
7. आनलाइन पंजीकरण का प्रिन्ट आउट।
8. धरोहर धनराशि का प्रिन्ट आउट।

नोट—

1. दिव्यांगता प्रमाण पत्र उ0प्र0 राज्य चिकित्सा बोर्ड अथवा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों से जारी ए0ए0सी0सी0सी0 के प्रारूप पर ही मान्य होंगे जो वर्तमान सत्र 2025-26 के लिए निर्गत किये गये हों।
2. दिव्यांगता प्रमाण पत्र में किसी विवाद/अस्पष्टता की स्थिति में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा विवाद/अस्पष्टता के समाधान हेतु विशेष चिकित्सा बोर्ड गठित करने हेतु अनुरोध किया जायेगा।
3. मूल अभिलेख न होने अथवा अभिलेख गलत पाये जाने की स्थिति में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
4. प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में यदि कोई अभ्यर्थी किसी दूसरी संस्था में प्रवेशित है और उसके मूल अभिलेख उस संस्था में जमा हैं, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी उस संस्था की अनापत्ति तथा मूल अभिलेखों के जमा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। परन्तु आवंटित संस्था में प्रवेश के समय अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवंटित संस्था में मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में उसका आवंटन निरस्त समझा जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

7. च्वाइस फिलिंग

- 7.1 धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी को उपलब्ध विकल्पों में से च्वाइस फिलिंग करना होगा।
- 7.2 अभ्यर्थी च्वाइस फिलिंग हेतु आयुष विधा के उपलब्ध विकल्पों में से सभी विकल्पों का चयन करने हेतु स्वतन्त्र होगा।
- 7.3 च्वाइस फिलिंग के पश्चात च्वाइस लाक करना अनिवार्य होगा। च्वाइस लाक न करने की दशा में सीट आवंटन नहीं होगा।
- 7.4 काउंसिलिंग प्रक्रिया प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा स्ट्रे वैकेंसी चक्र/चक्रों में सम्पन्न की जायेगी।
- 7.5 प्रथम अथवा द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग द्वारा आयुष महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग तक पुनरावंटन के लिये पुनः च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं।
- 7.6 अभ्यर्थी पुनरावंटन के लिये च्वाइस फिलिंग करते समय प्रवेशित सीट का विकल्प न भरें। पुनरावंटन में सीट आवंटित हो जाने की दशा में उसकी पूर्व आवंटित सीट स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा उस पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा, किन्तु पुनरावंटन न होने की स्थिति में उसकी पूर्व की सीट यथावत् बनी रहेगी।

8. काउन्सिलिंग, आवंटन एवं प्रवेश प्रक्रिया

- 8.1 काउन्सिलिंग प्रक्रिया प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा स्ट्रे वैकेंसी चक्र में सम्पन्न की जायेगी। उक्त के पश्चात् भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रवेश की अन्तिम तिथि में संशोधन किया जाता है तो आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्ट्रे वैकेंसी चक्र/चक्रों से रिक्त सीटों का आवंटन किया जायेगा।
- 8.2 प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं स्ट्रे वैकेंसी चक्र/चक्रों की काउन्सिलिंग की समय सारिणी यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउन्सिलिंग बोर्ड-2025 द्वारा निर्धारित कर काउन्सिलिंग की अधिकृत वेबसाइट www.upayushcounseling.upsdc.gov.in पर प्रदर्शित की जायेगी। प्रत्येक चक्र की काउन्सिलिंग से पूर्व काउन्सिलिंग की विज्ञप्ति प्रदेश के बहुप्रसारित न्यूनतम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करायी जायेगी।



8.3 प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग—

- (i) प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से प्रोविजनल सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा नोडल सेन्टर पर अपने अभिलेखों का भौतिक सत्यापन कराया जायेगा, तदोपरान्त अभ्यर्थी द्वारा अपना आवंटन पत्र (Allotment Letter) डाउनलोड कर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।
- (ii) यदि सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपने अभिलेखों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया जाता है, तो भी ऐसे अभ्यर्थी अगले चक्र की च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। उन्हें पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (iii) सीट आवंटन के उपरान्त अभिलेखों के भौतिक सत्यापन कराने के पश्चात् प्रवेश न लेने की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी अगले चक्र की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो उन्हें धरोहर धनराशि पुनः जमा करनी होगी।

8.4 द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग—

- (i) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से कोई भी सीट आवंटित न हुयी हो, द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग हेतु अर्ह होंगे। उन्हें पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- (ii) प्रथम चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी, पुनरावंटन के लिये पुनः च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। अभ्यर्थी च्वाइस फिलिंग करते समय प्रवेशित सीट का विकल्प द्वितीय चक्र में न भरें। पुनरावंटन में सीट आवंटित हो जाने की दशा में उसकी पूर्व आवंटित सीट स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा उस पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा, तथा पुनरावंटित सीट में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। किन्तु पुनरावंटन न होने की स्थिति में उसकी पूर्व की सीट यथावत् बनी रहेगी।
- (iii) द्वितीय चक्र में भी यदि सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपने अभिलेखों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया जाता है, तो भी ऐसे अभ्यर्थी तृतीय चक्र की च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। उन्हें पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (iv) आवंटन के उपरान्त अभिलेखों के भौतिक सत्यापन कराने के पश्चात् प्रवेश न लेने की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी अगले चक्र की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो उन्हें धरोहर धनराशि पुनः जमा करनी होगी।

8.5 तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग—

- (i) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउन्सिलिंग-2025 की प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित न हुई हो, तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग हेतु अर्ह होंगे। उन्हें पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- (ii) ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम अथवा द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग द्वारा आयुष महाविद्यालय में प्रवेशित हैं, पुनरावंटन के लिये पुनः च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं।
- (iii) प्रथम अथवा द्वितीय चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी, पुनरावंटन के लिये पुनः च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। अभ्यर्थी च्वाइस फिलिंग करते समय प्रवेशित सीट का विकल्प तृतीय चक्र में न भरें। पुनरावंटन में सीट आवंटित हो जाने की दशा में उसकी पूर्व आवंटित सीट स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा उस पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा, तथा पुनरावंटित सीट में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। किन्तु पुनरावंटन न होने की स्थिति में उसकी पूर्व की सीट यथावत् बनी रहेगी।
- (iv) राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुष कालेजों हेतु तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग द्वारा प्रोविजनल आवंटित सीट (Provisional Allotted Seat) पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को



अनिवार्य रूप से अभिलेखों के सत्यापन हेतु नोडल सेन्टर पर उपस्थित होना होगा। अन्यथा की स्थिति में जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

- (v) निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में आल इण्डिया कोटे की 15 प्रतिशत सीटों पर प्रथम एवं द्वितीय चक्र में काउन्सिलिंग की प्रक्रिया की जायेगी। द्वितीय चक्र के उपरान्त यदि सीटें अवशेष रहती हैं, तो उन सीटों को निजी क्षेत्र के स्टेट कोटा की 85 प्रतिशत सीटों के साथ सम्मिलित कर लिया जायेगा।
- (vi) तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग के आवंटन प्रक्रिया के पश्चात् यदि आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी की सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो ऐसे सभी सीटों को निम्नांकित तालिकानुसार आमेलित करते हुए आवंटन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

CONVERSION ALGORITHM

क्र०सं०	श्रेणी (जिनका परिवर्तन होना है)	श्रेणी (जिनमें परिवर्तित होगी)
1	अनुसूचित जनजाति—ST (PwD/FF/EA/NCC)	अनुसूचित जनजाति—ST
2	अनुसूचित जाति—SC (PwD/FF/EA/NCC)	अनुसूचित जाति—SC
3	अनारक्षित—UR (PwD/FF/EA/NCC)	अनारक्षित—UR
4	अन्य पिछड़ा वर्ग—OBC (PwD/FF/EA/NCC)	अन्य पिछड़ा वर्ग—OBC
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग—EWS (PwD/FF/EA/NCC)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग—EWS
6	अनुसूचित जनजाति —ST	अनुसूचित जाति—SC
7	अनुसूचित जाति —SC	अनारक्षित—UR
8	अन्य पिछड़ा वर्ग—OBC	अनारक्षित—UR
9	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग—EWS	अनारक्षित—UR

8.6. स्ट्रे वैकेंसी चक्र की काउन्सिलिंग—

- (i) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेंसी चक्र काउन्सिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- (ii) अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के समय नोडल सेंटर पर अभ्यर्थी को स्वयं भौतिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में उसके अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (iii) राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुष कालेजों हेतु स्ट्रे वैकेंसी चक्र की काउन्सिलिंग द्वारा प्रोविजनल आवंटित सीट (Provisional Allotted Seat) पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से अभिलेखों के सत्यापन हेतु नोडल सेन्टर पर उपस्थित होना होगा। अन्यथा की स्थिति में जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- (iv) स्ट्रे वैकेंसी चक्र में कोई पुनरावंटन अनुमन्य नहीं होगा।

8.7 प्रवेश प्रक्रिया —

- (i) नोडल सेन्टर पर भौतिक सत्यापन के उपरान्त आवंटन पत्र डाउनलोड कर समस्त अभ्यर्थियों को आवंटित आयुष कालेज में प्रवेश की प्रक्रिया सम्पन्न करानी होगी।
- (ii) प्रवेश के समय भौतिक सत्यापन हेतु समस्त अभिलेख मूल रूप में एवं स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
- (iii) काउन्सिलिंग से आवंटन पत्र प्राप्त सभी अभ्यर्थियों हेतु सम्बन्धित कालेज स्तर पर अभिलेखों के भौतिक सत्यापन एवं मेडिकल बोर्ड का गठन कर प्रवेश की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

9. त्याग-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचनायें (Resignation)

- 9.1 प्रथम एवं द्वितीय चक्र से आवंटित अभ्यर्थी प्रवेश के उपरान्त तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग की च्वाइस फिलिंग के 48 घण्टे पूर्व (उदाहरण स्वरूप यदि च्वाइस फिलिंग दिनांक 14-09-2025 को प्रातः 10:00 बजे से प्रारम्भ होनी हैं तो अभ्यर्थी को दिनांक 12.09.2025 को प्रातः 9:59 बजे तक) अपनी सीट से काउन्सिलिंग के पोर्टल के माध्यम से आनलाइन त्यागपत्र देता है तो उसका शिक्षण शुल्क (प्रवेश शुल्क रु0 एक हजार छोड़कर) तथा धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी।
- 9.2 प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर प्राप्त त्यागपत्र महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/नोडल आफिसर्स द्वारा निर्धारित समय अन्तर्गत एन0आई0सी0 के पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य होगा। पोर्टल पर अपडेटेड त्यागपत्र ही मान्य होंगे। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त त्यागपत्र मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित संस्था को समयान्तर्गत त्यागपत्र दिये जाने पर यदि संस्था द्वारा पोर्टल पर त्यागपत्र की सूचना समयान्तर्गत अपडेट नहीं की जाती है, तो सम्बन्धित संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 9.3 अभ्यर्थियों को सीट का आवंटन (Allotment/Allocation) प्रवेश नहीं है। आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थी को संबंधित कालेज में भौतिक रूप से उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न कराने के पश्चात् ही प्रवेश मान्य होगा। तत्पश्चात् ही प्रवेशित अभ्यर्थी प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दे सकेगा।
- 9.4 तृतीय एवं स्ट्रे वैकेंसी चक्र से प्रवेशित अभ्यर्थियों हेतु त्यागपत्र किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

10. सरकारी क्षेत्र/निजी क्षेत्र/अल्पसंख्यक क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थानों के शुल्क एवं अन्य जानकारीयें (College Fee)

- 10.1 सरकारी क्षेत्र के आयुष कालेजों में प्रवेशित छात्र-छात्राओं द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क आदि देय होंगे।
- 10.2 निजी क्षेत्र के आयुष कालेजों के लिये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।
- 10.3 निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों हेतु यह अनिवार्य होगा कि वह शासन द्वारा निर्धारित शुल्क व अन्य शुल्क अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे एवं अल्पसंख्यक संस्थान भी अपने कालेजों हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क व अन्य शुल्क अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे। साथ ही सम्बन्धित कालेज/विश्वविद्यालय के शुल्क का विवरण तथा इन कालेजों/विश्वविद्यालयों में उपलब्ध सीटों की संख्या का विवरण काउन्सिलिंग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। वेबसाइट पर प्रदर्शित शुल्कों के अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 10.4 अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वह सीट आवंटन हेतु विकल्प चयन करने से पूर्व सम्बन्धित कालेजों/विश्वविद्यालयों से स्वयं सम्पर्क कर सभी प्रकार की जानकारीयें प्राप्त कर लें। आवंटन के पश्चात् किसी प्रकार की भी असुविधा हेतु काउन्सिलिंग बोर्ड अथवा आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश शासन उत्तरदायी नहीं होगा।

11. सहायता केन्द्र (Helpdesk)

ऑनलाइन काउन्सिलिंग की अद्यतन जानकारी हेतु वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

Continuously go through website for updated information about online counselling

<https://upayushcounseling.upsdc.gov.in>

- यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग-2025 से सम्बन्धित समस्त जानकारी के लिये उपरोक्त काउन्सिलिंग पोर्टल पर शासनादेश, विवरण पुस्तिका (Brochure) उपलब्ध हैं इसके अतिरिक्त समय-समय पर अन्य दिशा-निर्देश/सूचनाएं पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाती रहेंगी।
- इसके अतिरिक्त समस्या का समाधान न होने की दशा में निम्नलिखित सहायता केन्द्रों से सम्पर्क कर समाधान प्राप्त करें।
- यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउन्सिलिंग-2025 में भुगतान की गयी राशि का बैंक द्वारा चार्जबैक अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थी किसी भी तरह के रिफण्ड की मांग के लिये काउन्सिलिंग आधिकारिक ई-मेल पर सम्पर्क करें।
- अभ्यर्थियों की शिकायत/समस्याओं का निवारण (Redressal of Student's Grievances) के सम्बन्ध में नामित अधिकारियों का नाम व पदनाम निम्नानुसार है:-

1. प्रो0 राजेश कुमार गौतम, मुरादाबाद। (मोबाइल हेल्प लाइन हेतु)	मोबाइल न0-7376524687
2. डा0 विष्णु शर्मा, अलीगढ़। (मोबाइल हेल्प लाइन हेतु)	मोबाइल न0-7376520591
3. डा0 राजकुमार, गाजीपुर। (ई-मेल कार्यों हेतु)	ई-मेल प्रभारी
4. डा0 मानसी श्रीवास्तव, लखनऊ। (ई-मेल कार्यों हेतु)	ई-मेल सह-प्रभारी

(हेल्प लाइन नम्बर पर सूचना प्राप्त करने या समस्याओं का निवारण/समाधान करने का समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक)

- बैंक सहायता (Bank help desk):-

- भारतीय स्टेट बैंक से संबंधी समस्या के लिये दिये संपर्क सूत्र पर संपर्क करें।

Email: sbiepay@sbi.co.in

Phone: +91-22-6536 1671 (24*7 customer care service)

- आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक से संबंधी समस्या के लिये दिये गये किसी भी संपर्क सूत्र पर संपर्क करें।

Email: mayank.bha@icicibank.com, kumari.sinha1@icicibank.com

Phone: 1800 1080 (24*7 customer care service)

मोबाइल सम्पर्क सूत्र-Abhinay Patel- 7753942974, Nandini Sinha- 9372710235

नोट- अभ्यर्थी सभी ई-मेल केवल आधिकारिक ई-मेल (upug.ayushcounseling@gmail.com) पर ही निम्न विवरण के साथ भेजें। अन्यथा उनके ई-मेल पर विचार नहीं किया जायेगा।

नाम-

नीट रोल नंबर-

पंजीकरण संख्या-

मोबाइल नंबर-

ईमेल आईडी-

- अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जो सूचनायें विवरण पुस्तिका (Brochure) में उपलब्ध है उन सूचनाओं से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जायेगा।

12. विविध (Miscellaneous)

- **Disclaimer:-**Department of AYUSH, Govt. of Uttar Pradesh & National Informatics Centre (NIC) will conduct the online registration/counselling procedure as per the information filled by the candidates. Department of AYUSH, Govt. of Uttar Pradesh or National Informatics Centre (NIC) will not be responsible for delay in registration/counselling process due to any kind of technical fault or electricity failure.
- **अस्वीकृति-**आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण/काउन्सिलिंग की प्रक्रिया में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सूचनाओं के अनुसार संचालित की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा दी गयी सूचनाओं के लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), उ०प्र० किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा या विद्युत आपूर्ति बाधा के कारण ऑनलाइन पंजीकरण/काउन्सिलिंग प्रक्रिया में विलम्ब के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

Candidates are required to assess their eligibility carefully themselves before applying and depositing the registration fee and security money. The eligibility will be checked at the time of document verification at nodal center and at the time of admission in state AYUSH Colleges/Institutions/ Universities as detailed in brochure/website. Deposited registration fee will not be refunded in any case.

अभ्यर्थी आवेदन/पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर धनराशि जमा करने से पूर्व अपनी अर्हता के सम्बन्ध में भली-भाँति स्वयं आंकलन कर लें। विवरण पुस्तिका/वेबसाइट में दिये गये निर्देशों के अनुसार काउन्सिलिंग के समय नोडल सेन्टर पर मूल अभिलेखों का सत्यापन एवं प्रदेश के आयुष कालेजों/संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में प्रवेश के समय मूल अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। जमा किये गये पंजीकरण शुल्क की वापसी, किसी भी स्थिति में नहीं होगी।

- Any imposter/incorrect information found during admission process or thereafter during academic sessions, will make the candidate lose his/her candidature and would be subjected to legal action.
- प्रवेश प्रक्रिया अथवा उसके उपरान्त शैक्षणिक सत्र के समय, यदि अभ्यर्थी की कोई सूचना अनुचित/गलत पायी जाती है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर, उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। इसके लिये सम्बन्धित को नोटिस निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- समय-समय पर मा० सर्वोच्च न्यायालय/आयुष मंत्रालय, भारत सरकार/उ०प्र० सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप काउन्सिलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
- काउन्सिलिंग में किसी भी प्रकार का विवाद/कोर्टकेस का न्यायिक क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।

(The jurisdiction for court cases/disputes shall be at Lucknow only.)

13. कालेजवार स्वीकृत सीटों का विवरण (Available Seats)

राजकीय आयुष कालेजों एवं उनमें उपलब्ध स्नातक पाठ्यक्रम की सीटों एवं संशोधित निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नवत है:-

आयुर्वेद

क्र० सं०	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय	सीट (स्टेट कोटा)	शुल्क
1	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनऊ।	64	प्रवेश शुल्क- 1000/- (केवल प्रवेश के समय)
2	ललित हरि राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पीलीभीत।	54	काशन मनी (रिफण्डेबल)-4000/- (केवल प्रवेश के समय)
3	एस0आर0एम0 राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय बरेली।	64	अनारक्षित श्रेणी के लिये शिक्षण शुल्क- 10,000/-प्रतिवर्ष
4	एल.बी.एस. राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय हण्डिया प्रयागराज।	64	विकास शुल्क- 2000/-प्रतिवर्ष अन्य शुल्क-2000/- प्रतिवर्ष
5	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय वाराणसी।	64	कुल शुल्क- 19,000/-
6	एस.के.डी. राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, रामपुर-मुजफ्फरनगर।	64	आरक्षित श्रेणी के लिये शिक्षण शुल्क 50 प्रतिशत (5000/-प्रतिवर्ष)
7	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय झाँसी।	64	विकास शुल्क- 2000/-प्रतिवर्ष अन्य शुल्क-2000/-प्रतिवर्ष
8	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, अतर्रा बांदा।	64	कुल शुल्क- 14,000/- होगा।
योग		502	

क्र० सं०	निजी क्षेत्र के स्थापित आयुर्वेदिक कालेज	सीट	शुल्क
1	धनवंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मीरगंज, बरेली।	60	शिक्षण शुल्क-2,52,200/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-90,000/- वार्षिक काशन मनी-50,000/- (वापसी)
2	आर0बी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, जलेसर रोड, आगरा।	100	शिक्षण शुल्क-2,52,400/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क- 1,00,000/- वार्षिक काशन मनी-शून्य
3	कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रिसर्च सेन्टर एण्ड हास्पिटल, ग्राम व पोस्ट- गौरहा, कासगंज।	60	शिक्षण शुल्क-2,35,700/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क- 78,000/- वार्षिक काशन मनी-शून्य
4	श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, भाऊपुर, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद।	100	शिक्षण शुल्क-2,28,800/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क- 1,71,200/- वार्षिक काशन मनी- 50,000/- (वापसी)
5	संस्कृति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, छाता, मथुरा।	100	शिक्षण शुल्क-2,60,900/-प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-1,45,000/- वार्षिक काशन मनी-50,000/- (वापसी)
6	एन्काइट आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, परवर पूरब, मोहनलालगंज, लखनऊ।	100	शिक्षण शुल्क-2,53,900/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क- 1,00,000/- वार्षिक काशन मनी-50,000/- (वापसी)

7	फ्यूचर इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज साइंसेज, फरीदपुर, बरेली।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क- 1,25,000/- वार्षिक
8	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, अलीगढ़।	60	शिक्षण शुल्क-2,54,200/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-90,000/- प्रत्येक वर्ष काशन मनी-शून्य
9	इन्स्टीट्यूट आफ आयुष मेडिकल साइन्सेज, विमलार्जुन नगर भागूखेड़ा मोहनलालगंज, लखनऊ।	100	शिक्षण शुल्क-2,51,200/- प्रत्येक वर्ष काशन मनी-50,000/- (वापसी)
10	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेदिक संस्थान कोइलहा, कौशाम्बी।	60	शिक्षण शुल्क-2,59,000/- प्रत्येक वर्ष काशन मनी-50,000/- (वापसी)
11	बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, लाडनपुर कोपागंज, मऊ।	100	शिक्षण शुल्क-2,48,000/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क- 72,000/- वार्षिक काशन मनी-50,000.00 (वापसी)
12	इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद मेजर एस0डी0 सिंह यूनिवर्सिटी, भोजपुर कानपुर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद।	100	शिक्षण शुल्क-2,52,900/- प्रत्येक वर्ष हास्टल फीस-95,000/- वार्षिक
13	अरनव आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड सी0एन0एस0 आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सतरिख, बाराबंकी।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क- 96,000/- वार्षिक काशन मनी- 50,000/- (वापसी)
14	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, बरेली।	100	शिक्षण शुल्क-2,70,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-90,000/- वार्षिक काशन मनी- 50,000/- (वापसी)
15	श्री सत्या आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, धनुपुरा, मुरादाबाद।	100	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-80,000/- वार्षिक काशन मनी- 50,000/- (वापसी)
16	प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, आगरा रोड, हाथरस।	60	शिक्षण शुल्क-2,38,900/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-90,000/- वार्षिक काशन मनी- 50,000/- (वापसी)
17	एपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसीन एवं हास्पिटल, चुनार, मिर्जापुर।	100	शिक्षण शुल्क-2,30,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क डबल सीटर-1,30,284/- ट्रिपल सीटर- 97,020/- वार्षिक काशन मनी-50,000/- (वापसी)
18	सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड महामृत्युंजय हास्पिटल, इटोरा चन्देश्वर आजमगढ़।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-80000/- प्रत्येक वर्ष काशन मनी- 50,000/- (वापसी)
19	विमला फैमिली आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, हरदौली कानपुर नगर।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-1,00,000/- प्रत्येक वर्ष काशन मनी-50,000/- वापसी
20	एस0के0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, छाता, मथुरा।	100	शिक्षण शुल्क, -2,59,800/- प्रत्येक वर्ष काशन मनी- शून्य
21	वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय, खुर्जा, बुलन्दशहर।	100	शिक्षण शुल्क-2,59,100/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-70,000/- डबल सिंगल- 85,000/- वार्षिक काशन मनी- 50,000/- (वापसी)
22	एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हारीपुर, गोण्डा।	100	शिक्षण शुल्क-2,32,100/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क- 78,000/- प्रत्येक वर्ष काशन मनी- शून्य
23	श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, ग्राम डूंगरावली परतापुर बाईपास रोड मेरठ।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-1,10,000/- वार्षिक काशन मनी-50,000/- (वापसी)
24	चरक आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, पंछी, मेरठ।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल एवं मेस शुल्क- 90000/- वार्षिक काशन मनी-50000/- (वापसी)

25	महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मेरठ।	100	शिक्षण शुल्क-3,00,000/- प्रत्येक वर्ष (अल्पसंख्यक कालेज) हास्टल शुल्क-1,10,000/- प्रतिवर्ष काशन मनी-25,000/- (वापसी)
26	ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, नालेज पार्क, ग्रेटर नोएडा।	100	शिक्षण शुल्क-2,45,400/- प्रत्येक वर्ष काशन मनी-50000/- एक बार (वापसी)
27	दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, अजीतमहल, निवारी रोड, मोदीनगर गाजियाबाद।	100	शिक्षण शुल्क-2,60,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-1,10,000/- प्रतिवर्ष नॉन ए0सी0, 1,50,000/-प्रतिवर्ष ए0सी0 काशन मनी-50,000/- (वापसी)
28	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइन्सेज एवं रिसर्च सेन्टर, लखनऊ।	100	शिक्षण शुल्क-2,55,700/-प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क- 95,000/- वार्षिक काशन मनी-50,000/- (वापसी)
29	जी0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, एण्ड हास्पिटल, एन0एच0 24 पिलखुआ, हापुड।	100	शिक्षण शुल्क-2,59,700/-प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-100000/- प्रतिवर्ष काशन मनी-50,000/- (वापसी)
30	कृष्णा आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हासमपुर, पो0 झालू जिला बिजनौर।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-60,000/- वार्षिक काशन मनी- 50,000/- (वापसी)
31	श्री कृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द ,चोलापुर वाराणसी।	60	शिक्षण शुल्क-2,69,800/-प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-2,00,000/- प्रत्येक वर्ष काशन मनी- 50,000/- (वापसी)
32	आर0के0 आयुर्वेदिक मेडिकल एण्ड हास्पिटल, सठियांव, आजमगढ़।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600/-प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क- 72,000/- प्रत्येक वर्ष काशन मनी- 50,000/- (वापसी)
33	श्री सन्तनपाल सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मिर्जापुर, शाहजहाँपुर।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-90,000/- वार्षिक काशन मनी- 50,000/- (वापसी)
34	गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, लखनऊ।	100	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क- 84,500/- नॉन ए0सी0 ट्रिपल वार्षिक काशन मनी-50,000/- (वापसी)
35	ए0एन0ए0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मीरगंज, बरेली।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क- 90,000/- वार्षिक काशन मनी-50,000/- (वापसी)
36	भगवन्त आयुर्वेदिक कालेज एवं हास्पिटल, मुजफ्फर नगर।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क -60,000/- वार्षिक काशन मनी-शून्य
37	रोहिलखण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, दोहरा रोड बरेली।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-60,000/- वार्षिक काशन मनी-शून्य
38	भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, रूडकी रोड पो0 बरेली, मुजफ्फरनगर।	100	शिक्षण शुल्क-3,00,000/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क- 1,00,000/- नॉन ए0सी0 वार्षिक 1,30,000/- ए0सी0 वार्षिक काशन मनी-50,000/- (वापसी) अल्पसंख्यक कालेज
39	ओ0डी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, कोयल राया, मथुरा।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क -1,00,000/- प्रत्येक वर्ष काशन मनी-20,000/- (वापसी)
40	आर0के इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, बुखारा रोड, बरेली।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क -72,000/- प्रत्येक वर्ष काशन मनी-50,000/- (वापसी)

41	जावित्री इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद मेडिकल साइंसेज, मोहनलालगंज, लखनऊ।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क -90,000/- प्रत्येक वर्ष काशन मनी-50000/- (वापसी)
42	महाराणा प्रताप कालेज ऑफ आयुर्वेद एण्ड मेडिकल साइन्स, कोठी मंधाना, कानपुर नगर।	100	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-1,10,000/- नॉन ए0सी0 1,60,000/- ए0सी0 वार्षिक काशन मनी-50,000/- (वापसी)
43	राजश्री आयुर्वेदिक मेडिकल एण्ड हास्पिटल, नबाबगंज बरेली।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-80,000/- वार्षिक काशन मनी-शून्य
44	श्री साईं आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, अलीगढ़।	100	शिक्षण शुल्क-2,57,800/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-90000/- प्रत्येक वर्ष
45	आम्रपाली आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव हास्पिटल, बोंगरमऊ, उन्नाव।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क- 90,000/- वार्षिक काशन मनी-50,000/- (वापसी)
46	बाबू युगराज सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-70000/- वार्षिक काशन मनी-50,000/- (वापसी)
47	विवेक कालेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एण्ड हास्पिटल, बिजनौर।	100	शिक्षण शुल्क-2,50,000/- प्रत्येक वर्ष (अल्पसंख्यक कालेज) हास्टल शुल्क-1,10,000/- वार्षिक काशन मनी-5,000/- (वापसी)
48	संजीवनी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, कुडाना, अमरोहा।	100	शिक्षण शुल्क-250,900/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-84,000/- कूलर युक्त, 1,25,000/- ए0सी0, प्रत्येक वर्ष काशन मनी-50,000/- (वापसी)
49	प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एव हास्पिटल, एण्ड रिसर्च सेन्टर ग्राम बक्काखेडा, माल, मलिहाबाद रोड, लखनऊ।	50	शिक्षण शुल्क-2,45,700/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-48,000/- प्रतिवर्ष (विद्युत शुल्क एवं भोजन शुल्क अलग से) काशन मनी-शून्य
50	ग्लोकल कालेज आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च सेन्टर, मिर्जापुर, सहारनपुर।	60	शिक्षण शुल्क-2,51,300/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-28,000/-88,000/- प्रत्येक वर्ष काशन मनी- शून्य
51	स्वाती हास्पिटल एवं आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, तवली, मुजफ्फरनगर।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-80,000/- वार्षिक काशन मनी-50,000/- (वापसी)
52	डा0 शकुन्तला आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, नयनसंद, गौराबादशॉहपुर, जौनपुर।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-1,00,000/- वार्षिक काशन मनी-50,000/- (वापसी)
53	भारतीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, जे0पी0 नगर।	60	शिक्षण शुल्क-2,49,300/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-84,000/- कूलर युक्त, 1,25,000/- ए0सी0, प्रत्येक वर्ष काशन मनी-50,000/- (वापसी)
54	आर0जी0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, करौंदी, बक्शी का तालाब, लखनऊ।	100	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-90,000/- वार्षिक काशन मनी-50,000/- (वापसी)
55	प्रकाश इंस्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, झांझर, बुलन्दशहर।	60	शिक्षण शुल्क-2,60,500/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क -1,00,000/- प्रत्येक वर्ष काशन मनी-50,000/- (वापसी)
56	बाबा विश्वनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मरतीगंज, आजमगढ़।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष छात्रावास-84,000/- प्रत्येक वर्ष काशन मनी- शून्य

57	नैमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, कुबेरपुर, आगरा।	100	शिक्षण शुल्क-3,00,000/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-1,00,000/- नॉन ए0सी0, 1,30,000/- ए0सी0 वार्षिक काशन मनी- शून्य अल्पसंख्यक कालेज
58	आई0टी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, चेहारी, फरेन्दा रोड, महाराजगंज।	100	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-1,20,000/- ए0सी0, 80,000/- नॉन ए0सी0 वार्षिक काशन मनी-50,000/- (वापसी)
59	कृतिका आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, नवाबगंज, बरेली।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष काशन मनी-30,000/- (वापसी)
60	एस0के0 मिश्रा अनिता आयुर्वेदिक कालेज, ताजपुर गरहा, लालगंज आजमगढ़।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-90,000/- वार्षिक काशन मनी-50,000/- (वापसी)
61	डा0 कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, झांसी।	50	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-72,000/- वार्षिक काशन मनी-शून्य
62	शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, आजमगढ़।	60	शिक्षण शुल्क-2,55,800/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क- 80000/- साधारण कूलर के साथ 96000/- ए0सी0 के साथ 140,000/- वार्षिक काशन मनी-50,000/- (वापसी)
63	आई0आई0एम0टी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मेरठ।	60	शिक्षण शुल्क-2,39,200/- प्रत्येक वर्ष हास्टल एवं मेस शुल्क-1,65,000/- प्रत्येक वर्ष काशन मनी-50,000/- (वापसी)
64	गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, सोनबरसा बालापार मानीराम, गोरखपुर।	100	शिक्षण शुल्क-2,65,800/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-75,000/- नॉन ए0सी प्रत्येक वर्ष -बालक हेतु, 1,25,000/- ए0सी प्रत्येक वर्ष-बालक हेतु 65,000/- नॉन ए0सी प्रत्येक वर्ष बालिका हेतु, 1,05,000/- ए0सी प्रत्येक वर्ष बालिका हेतु काशन मनी-50,000/- (वापसी)
65	डा0 सर्वेश कुमार शुक्ला आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज फखरपुर, महसी, बहराईच।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-72,000/- वार्षिक काशन मनी- 50,000/- (वापसी)
66	सत्यराज आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मीरगंज, बरेली।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क- 48,000/- एवं मेश शुल्क 48,000/- प्रत्येक वर्ष काशन मनी- 50,000/- (वापसी)
67	मेजर एस0डी0 सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, बेवर रोड, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद।	100	शिक्षण शुल्क-2,59,200/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-1,00,000/- वार्षिक काशन मनी- 40,800/- (वापसी)
68	द्रोणाचार्य आयुर्वेदिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एण्ड हास्पिटल, खुशालीपुर, सहारनपुर।	57	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-1,00,000/- वार्षिक काशन मनी-50,000/- (वापसी)
69	श्री राम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ।	60	शिक्षण शुल्क-2,58,700/- प्रत्येक वर्ष छात्रावास शुल्क-1,00,000/- वार्षिक काशन मनी-50,000/- (वापसी)
70	श्री धनवंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर छाता, मथुरा।	100	शिक्षण शुल्क-2,54,200/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क- 90,000/- वार्षिक काशन मनी-50,000/- (वापसी)

71	मंगलायतन आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं रिसर्च सेन्टर, अलीगढ।	57	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क- 90,000/- नॉन ए0सी0, 1,20,000/- ए0सी0 वार्षिक काशन मनी-20,000/- (वापसी)
72	एम0डी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, सिकन्दरा, आगरा।	54	शिक्षण शुल्क-2,48,900/- प्रत्येक वर्ष काशन मनी-शून्य
73	जीवक आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, चन्दौली।	60	शिक्षण शुल्क-2,60,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क- 84,000/- वार्षिक काशन मनी- शून्य
74	रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मन्धना, कानपुर।	100	शिक्षण शुल्क-2,36,500/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क- 1,20,000/- वार्षिक काशन मनी-50,000/- (वापसी)
75	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हरहुआ, वाराणसी।	60	शिक्षण शुल्क-2,55,500/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क- 1,10,000/- वार्षिक काशन मनी-50,000/- (वापसी)
76	सी0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मरेहारा रोड, एटा।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क- 80,000/- वार्षिक काशन मनी-50,000/- (वापसी)
77	महाराणा प्रताप आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, ईश्वरगंज, बैकुण्ठपुर, विठूर रोड, कानपुर नगर।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क- 1,00,000/- नॉन ए0सी0, 1,60,000/- ए0सी0 वार्षिक काशन मनी-50,000/- (वापसी)
78	एस0आर0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सिकन्दरपुर ग्वालियर रोड, आगरा।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क- 84,000/- प्रत्येक वर्ष काशन मनी-50,000/- (वापसी)
79	सहारनपुर आयुर्वेद मेडिकल कालेज, हास्पिटल ग्रा0 व पोस्ट संसारपुर, सहारनपुर।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क- 92,000/- प्रत्येक वर्ष काशन मनी-50,000/- (वापसी)
80	डा0 विजय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर ग्राम-भन्दहा कला पोस्ट कैथी वाराणसी।	100	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क- 72,000/- वार्षिक काशन मनी-50,000/- (वापसी)
81	कुँवर शेखर विजेन्द्र आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं रिसर्च सेन्टर आदर्श इन्स्टिट्यूट एरिया बाबू विजेन्द्र मार्ग गंगोह सहारनपुर।	100	शिक्षण शुल्क-2,52,100/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-80,000/- वार्षिक काशन मनी-50,000/- (वापसी)
82	शम्म-ए-गौसिया माइनॉरिटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, सहेरी, गाजीपुर।	60	शिक्षण शुल्क-2,88,000/- प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-84,000/- वार्षिक काशन मनी-50,000/- (वापसी)
योग		6208	

होम्योपैथी

क्र०सं०	राजकीय होम्योपैथिक कालेज	सीट (स्टेट कोटा)	शुल्क
1	राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, गोमती नगर, लखनऊ।	106	प्रवेश शुल्क— 1000 /— (केवल प्रवेश के समय)
2	प० जवाहर लाल नेहरू राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लखनपुर, कानपुर नगर।	106	काशन मनी (रिफण्डेबल)—4000 /— (केवल प्रवेश के समय)
3	राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, फाफामऊ, प्रयागराज।	106	अनारक्षित श्रेणी के लिये शिक्षण शुल्क— 10,000 /—प्रतिवर्ष विकास शुल्क— 2000 /—प्रतिवर्ष अन्य शुल्क—2000 /— प्रतिवर्ष
4	राजकीय के०जी०के० होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लाइनपार, मुरादाबाद।	106	कुल शुल्क— 19,000 /—
5	राजकीय डा० बृजकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, देवकाली, अयोध्या।	32	आरक्षित श्रेणी के लिये शिक्षण शुल्क 50 प्रतिशत (5000 /—प्रतिवर्ष) विकास शुल्क— 2000 /—प्रतिवर्ष अन्य शुल्क—2000 /—प्रतिवर्ष
6	राजकीय गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, रौजा, गाजीपुर।	54	कुल शुल्क— 14,000 /— होगा।
7	शहीद राजा हरि प्रसाद मल्ल राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, बड़हलगांज, गोरखपुर।	106	
8	राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, छेरत, अलीगढ़।	64	
9	राजकीय श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, चण्डेश्वर, आजमगढ़।	75	
योग		755	

क्र०सं०	निजी क्षेत्र के होम्योपैथिक कालेज	सीट	शुल्क प्रति वर्ष
1	बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, नोयडा, गौतमबुद्धनगर।	100	शिक्षण शुल्क—रु० 4,12,500 /— प्रथम वर्ष सुरक्षा शुल्क—रु० 20,000 /— (रिफण्डेबल)
2	सिंह साहब होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, गुलेरिया, अमरोहा।	60	शिक्षण शुल्क—रु० 1,10,000 /— प्रति वर्ष
3	जी०सी० होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, चन्द्रिका देवी रोड, बक्शी का तालाब, लखनऊ।	100	शिक्षण शुल्क—रु० 2,00,000 /— प्रति वर्ष सुरक्षा शुल्क—रु० 25,000 /— (रिफण्डेबल)
4	नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, तहसील—एत्मादपुर, आगरा।	70	शिक्षण शुल्क—रु० 2,00,000 /— प्रति वर्ष छात्रावास शुल्क—रु० 1,00,000 /— प्रति वर्ष
योग		330	

यूनानी

क्र०सं०	राजकीय यूनानी कालेज	सीट (स्टेट कोटा)	शुल्क
1	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, बिजनौर रोड, निकट रमाबाई रैली स्थल, लखनऊ।	64	प्रवेश शुल्क- 1000/- (केवल प्रवेश के समय) काशन मनी (रिफण्डेबल)-4000/- (केवल प्रवेश के समय)
2	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज।	64	अनारक्षित श्रेणी के लिये शिक्षण शुल्क- 10,000/-प्रतिवर्ष विकास शुल्क- 2000/-प्रतिवर्ष अन्य शुल्क-2000/- प्रतिवर्ष कुल शुल्क- 19,000/- आरक्षित श्रेणी के लिये शिक्षण शुल्क 50 प्रतिशत (5000/-प्रतिवर्ष) विकास शुल्क- 2000/-प्रतिवर्ष अन्य शुल्क-2000/-प्रतिवर्ष कुल शुल्क- 14,000/- होगा।
योग		128	

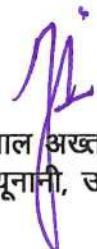
	निजी क्षेत्र के यूनानी कालेज	सीट	शुल्क प्रति वर्ष
1	इब्ने सीना तिब्बिया कालेज एण्ड हास्पिटल, बीनापारा वाया सरायमीर आजमगढ़।	50	शिक्षण शुल्क-1,80,000/-प्रति वर्ष छात्रावास शुल्क-20,000/- प्रति वर्ष
2	जामिया तिब्बिया, देवबन्द, जी-टी रोड, देवबन्द, जिला-सहारनपुर।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,000/- प्रति वर्ष छात्रावास शुल्क सिंगल सीटेड -6,000/- प्रति माह
3	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, न्यू बॉस निकट तलहेड़ी चुंगी, देवबन्द, सहारनपुर।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,000/- प्रति वर्ष छात्रावास शुल्क -2,000/- प्रति माह
4	अलीगढ़ यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अनूप शहर रोड, अलीगढ़।	60	शिक्षण शुल्क-2,25,000/- प्रति वर्ष छात्रावास शुल्क-90,000/- प्रति वर्ष
5	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल कुर्सी रोड, गुडम्बा, लखनऊ।	60	शिक्षण शुल्क-2,90,400/- प्रति वर्ष काशनमनी -5,000/- (केवल प्रवेश के समय) छात्रावास/गेस शुल्क सिंगल सीटेड -1,02,000/- प्रति वर्ष
6	डा० अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ।	50	शिक्षण शुल्क-2,05,000/- प्रति वर्ष काशनमनी-10,000/- (केवल प्रवेश के समय) छात्रावास शुल्क सिंगल सीटेड-6,000/-प्रति माह
7	हयात यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेंटर, हयात काम्पलेक्स, हरदोई रोड, काकोरी, लखनऊ।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- प्रति वर्ष छात्रावास शुल्क सिंगल सीटेड -96,000/-प्रति वर्ष काशनमनी-5000/- एक बार
8	शम्भू-ए-गौसिया माईनारिटी यूनानी मेडिकल कालेज, सहेड़ी, मोहल्ला-बरबरहना हिम्मत खान की मस्जिद, जिला-गाजीपुर।	60	शिक्षण शुल्क-1,55,000/- प्रति वर्ष छात्रावास शुल्क सिंगल सीटेड गेंस सहित -72,000/-प्रति वर्ष काशनमनी-50,000/- (केवल प्रवेश के समय)

9	ग्लोकल कालेज ऑफ यूनानी मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च सेन्टर, न्यू भगत सिंह कालोनी, बजोरिया रोड, सहारनपुर।	60	शिक्षण शुल्क-1,70,000/- प्रति वर्ष
10	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर।	42	शिक्षण शुल्क-2,04,000/- प्रति वर्ष छात्रावास शुल्क सिंगल सीटेंड भेस सहित-75,000/- प्रति वर्ष
	कुल योग	562	

➤ नोट- निजी कालेजों का शुल्क औपबन्धित है। समय समय पर निजी संस्थाओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर शुल्क का उल्लेख किया गया जिसकी विस्तृत सूचना (काशन मनी रिफण्डेबल, शिक्षण शुल्क तथा छात्रावास शुल्क) उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि निजी कालेजों का विकल्प चुनने से पूर्व वह शुल्क के सम्बन्ध में संबंधित कालेज से स्वयं जानकारी प्राप्त कर लें।

- 1- राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक कालेजों की सीटों में ई0डब्लू0एस0 कोटे की सीटें सम्मिलित हैं।
- 2- काउन्सिलिंग में उन्हीं आयुष महाविद्यालयों को सम्मिलित किया गया है, जिनको शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु भारत सरकार से प्रवेश की अनुमति प्राप्त है। काउन्सिलिंग के मध्य में यदि किसी संस्था को सम्बन्धित आयोग से प्रवेश हेतु अनुमति प्राप्त होती है अथवा सीटों में वृद्धि होती है, तो प्राप्त सीटों को उस चक्र की च्वाइस फिलिंग से 24 घण्टे पूर्व नियमानुसार सीट मैट्रिक्स में सम्मिलित किया जायेगा। कालेज के सम्मुख अंकित सीटों की संख्या में कमी या वृद्धि भी हो सकती है।
- 3- यदि विवरण पुस्तिका एवं सम्बन्धित शासनादेश में कोई भिन्नता पाई जाती है तो शासनादेश में निहित व्यवस्था प्रभावी मानी जायेगी।
- 4- आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शिक्षण शुल्क निर्धारित न होने के कारण न्यूनतम निर्धारित शिक्षण शुल्क देय होगा।


(डा० नारायण दास)
उपनिदेशक, आयुर्वेद सेवायें,
उ0प्र0


(प्रो० जमाल अख्तर)
निदेशक, यूनानी, उ0प्र0।


(प्रो० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक, होम्योपैथी/सदस्य
सचिव, काउन्सिलिंग बोर्ड-2025

संख्या-157/तीन-2003-77(11)/83

प्रेषक,

तुलसी गौड़,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सामान्य प्रशासन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक : 18 फरवरी, 2003

विषय :-डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में
प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

जिलाधिकारी के समक्ष डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होते रहते हैं। डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंध प्रमाण पत्र की आवश्यकता सामान्यतयः पैरा-मिलिट्री व अन्य संस्थाओं में रोजगार हेतु भर्ती, डिग्री कालेज व विश्वविद्यालयों में प्रवेश एवं एल0पी0जी0-केरोसिन डीजल डीलरशिप आदि प्राप्त करने के मामलों में होती है। प्रायः जनपदों में ऐसे मामले शासन को संदर्भित कर दिये जाते हैं।

2- डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि उक्त प्रमाण पत्र को “ नागरिकता ” जैसे महत्वपूर्ण तथा अहम बिन्दु से जोड़ कर देखा जा रहा है जिससे भ्रम की स्थिति बनी रहती है एवं अनायास डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाने विषयक प्रक्रिया को “ नागरिकता ” से जोड़कर देखने से उत्पन्न हुए भ्रम के कारण ही कभी-कभी शासन को असमजस की स्थिति का सामना करना पड़ता है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त समस्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अब तक डोमीसाईल/सामान्य निवास

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संबंधी सार्टिफिकेट जारी करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया विषयक शासनादेश संख्या-भा0स0-55/तीन-99-77 (11)/83, दिनांक 15-02-2000 को निरस्त करते हुए एतद्वारा डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया प्रख्यापित की जाती है :-

- (1) सामान्य निवास प्रमाण पत्र अधिकतर किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश हेतु अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के प्रयोजनार्थ जारी किया जायेगा एवं यह प्रमाण पत्र इन्हीं प्रयोजनों के लिए मान्य होगा व तदनुसार यह प्रमाण पत्र पर उल्लिखित होगा।
- (2) संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्वारा इस हेतु लिखित रूप में अधिकृत अपर जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट यह प्रमाण पत्र देने के लिए "सक्षम अधिकारी" होंगे।
- (3) प्रमाण पत्र पाने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक या उसके माता-पिता उस जनपद के मूल निवासी हो अथवा वह अस्थायी रूप से गत तीन वर्ष से उस जनपद में निवास कर रहा हो।
- (4) जो व्यक्ति किसी ऐसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी सेवा में है, जो स्थानान्तरणीय है, को नियमों में शिथिलता प्रदान की जायेगी।
- (5) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप-1 पर प्रार्थना पत्र दो प्रतियों में देना होगा। प्रार्थना पत्र पर आवेदक के दो नवीनतम फोटो होना आवश्यक है। एक फोटो अभिलेखनार्थ व दूसरा प्रमाण पत्र चस्पा कर (निर्गमन अधिकारी द्वारा मुहर व हस्ताक्षर सहित जारे करने हेतु) प्रस्तुत करेंगे। प्रार्थना पत्र का प्रारूप-1 संलग्न है।
- (6) प्रार्थी द्वारा निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा यथा-जो शासकीय सेवा में राजपत्रित अधिकारी हो, संसद सदस्य, विधायक अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष नगर पंचायत एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापन पत्र संलग्न प्रारूप पर, प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।
- (7) किसी भी शिक्षण संस्था या सेवायोजक का प्रमाण पत्र, अध्यक्ष ग्राम पंचायत, अध्यक्ष नगर पंचायत का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, डाईविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

चुनाव परिचय पत्र, आयकर का स्थायी लेखा संख्या (पी0ए0एन0), भवन कर जल कर, बिजली बिल आदि भी आवेदक पत्र के प्रस्तर-4 के प्रयोजनार्थ अनुमन्य होंगे। इनमें से कोई भी एक अभिलेख प्रार्थना पत्र के साथ संलग्नित किया जायेगा।

- (8) सक्षम प्राधिकारी या प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे आवेदन पत्र प्राप्त होने के साथ एक सप्ताह में जाँच हेतु संबंधित जाँच अधिकारी/कर्मचारी को प्राप्त करा दिया जाये। इसके उपरान्त उनसे दो सप्ताह में जाँच आख्या माँग ली जाये तथा इसके एक सप्ताह के अन्दर सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने का या उसकी जाँच आपतियों को आवेदक को सूचित कर दिया जाये।
- (9) सक्षम अधिकारी इस तथ्य से संतुष्ट होने पर कि आवेदक या उसके माता-पिता उस जनपद के मूल निवासी हैं या कम से कम तीन वर्ष की अवधि से उस जनपद में निवास कर रहे हैं, तो वह प्रारूप-2 में सामान्य निवास प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। प्रमाण पत्र का प्रारूप-2 संलग्न है।
- (10) उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के प्रयोजन के लिए ही जारी किया जायेगा तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई संबंध नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय “दि सिटीजनशिप एक्ट-1955” में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के मायम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अन्ततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।
- 4- कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
(तुलसी गौड)
सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश राज्य में सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र के लिए (केवल शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं सेवायोजन के प्रयोजन हेतु)
आवेदन पत्र का प्रारूप।

आवेदक का नाम

पिता/माता का अथवा पति/पत्नी का नाम

(क) आवेदक अथवा उसके माता-पिता के उस जनपद के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र (यदि है तो)

(ख) माता/पिता का जन्म स्थान (कब हुआ, मूल निवास कब से है, कब से कब तक).....

(ग) उत्तर प्रदेश के उक्त जनपद में अचल सम्पत्ति का विवरण (यदि हो)

अभिलेखीय साक्ष्य के साथ

अथवा

सामान्य तौर से माता/पिता के निवासी होने (तीन वर्ष से अधिक अवधि से अस्थायी रूप से निवासी होने) विषयक प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में नगर पालिका एवं उप नगर में टाउन एरिया के सक्षम अधिकारी द्वारा दिये जाने वाला प्रमाण पत्र).....

पूरा वर्तमान पता

थानातहसील

जनपद (तथा पिछले तीन वर्षों से निवास करने का पता, कब से कब तक)

उत्तर प्रदेश के उक्त जनपद में निवास करने की अवधि

(अभिलेखीय साक्ष्य के साथ उपर्युक्त बिन्दु-4 में की गयी व्यवस्थानुसार)

7(क) आवेदक का जन्म स्थान

(ख) जन्म तिथि(ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान द्वारा, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका तथा उप नगर में टाउन एरिया के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होगा)

8- स्थायी पता

आवेदक का नवीनतम फोटो
सत्यापनकर्ता द्वारा
हस्ताक्षरित व मुहर सहित
चस्पा दी जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

9- क्या आपने किसी अन्य जिला या प्रान्त से निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया है
(हाँ/नहीं)..... (यदि हो तो उसकी अनुप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)

10- प्रमाण पत्र किस प्रयोजन हेतु चाहिए

मैं..... घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त समस्त सूचनायें सत्य हैं व मेरी स्वयं की जानकारी के आधार पर दी गयी है जिसके लिए मैं पूर्णतया उत्तरदायी हूँ।

आवेदक का पूरा नाम
तथा हस्ताक्षर

(नोट :- आवेदक के फोटो की एक अन्य प्रति फोटो के पीछे सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर सहित आवेदन पत्र के साथ नत्थी की जाय।)

सत्यापन

1- श्री/श्रीमती/कुमारी.....
(जिनका अभिप्रमाणित फोटो इस आवेदन पर लगा है) पुत्र/पुत्री/पत्नी
..... निवासी/निवासिनी मकान नम्बर
..... ग्राम/मोहल्ला.....
पोस्ट..... जनपद..... उत्तर प्रदेश को
मैं वर्षों से जानता हूँ।

2- श्री/श्रीमती/कुमारी..... वर्षों से
उक्त पते पर निवास कर रहा/रही है।

अथवा

3- श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी की या उसके माता/पिता
की ग्राम/मोहल्ला..... तहसील
जिला..... में अचल सम्पत्ति है।
दिनांक:

हस्ताक्षर,
सत्यापनकर्ता का नाम
पदनाम व मुहर।

उपरोक्त प्रस्तर-2 या 3 में से किसी एक का सत्यापन वांछनीय है।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

सक्षम अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त सामान्य निवास प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है

श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पुत्री/पत्नी

मकान नंबर

मुहल्ला थाना

उत्तर प्रदेश का/की निवासी का वर्तमान पता

.....

फोटो की एक प्रति चस्पा करने के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित व मुहर लगाकर प्रमाणित की जाय।

उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप-1 में आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना तथा इससे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद में सामान्य निवासी होने (वतकपदंतपसल त्मेपकमदज) विषयक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

हस्ताक्षर

जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी,

का नाम व मुहर।

उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के लिए ही केवल जारी किया गया है तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई संबंध नहीं है। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय दि सिटीजनशिप एक्ट-1955 में यह स्पष्ट रूप से प्राविधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अंततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।



प्रमाण-पत्र प्रारूप नं- 1

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप (UPOBC)

संख्या-----

दिनांक-----

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी----- पुत्र/पुत्री/
 श्री-----निवासी-----ग्राम-----
 तहसील-----नगर-----जिला-----उत्तर प्रदेश राज्य
 की-----पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित
 जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के
 अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी----- पूर्वोक्त अधिनियम 1994
 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो, जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य
 पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम-2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक
 सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम-
 2002 द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए
 सकल वार्षिक आय आठ लाख रूप, या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में
 यथाविहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी----- तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के
 ग्राम-----तहसील-----नगर जिला-----में
 सामान्यतः रहता है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर----- दिनांक

पूरा नाम-----

स्थान-----

पद नाम तथा सील-----

मुहर-----

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/

सिटीमजिस्ट्रेट/परगना

मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

निर्धारित प्रारूप पर डिरपैच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाणपत्र ही मान्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन
 पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग
 बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
तहसील
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

सबजनक
सदर

जारी दिनांक:

है कि:

पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

उत्तर प्रदेश राज्य की प्रोमिन् (अंश) जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि: जोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये मकल कार्यालय आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में तथा विहिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



SHAMBHU SHARAN
Digitally Signed by
SHAMBHU SHARAN
O=REVENUE
DEPARTMENT,
OU=OFFICE OF
REVENUE,
C=IN,CN=SHAMBHU
SHARAN, S=Uttar
Pradesh

सहम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
सदर, सबजनक
दिनांक:

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा संचालित किया गया है तथा डिजिटल सिस्टम से हस्ताक्षरित है एवं आवेदन द्वारा स्वयं की तारीख एवं आवेदन के माध्यम से वापस भेजा गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <https://edistrict.up.gov.in> पर दृष्टा पढ़ने के लिए आवेदन क्र० फिटर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।

नोट— दिनांक 01.04.2025 या उसके बाद
का निर्गत होना चाहिये।

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



FORM OF
CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES
APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

जिला
तहसील
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

दिनांक:

खर

नोट—भारत सरकार के सेवायोजन हेतु निर्गत
प्रमाण—पत्र मान्य नहीं है।

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
खर, अलीगढ़
दिनांक:

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है एवम् आवेदक द्वारा स्वयं की जाँच इन आदमी के माध्यम से डाउनलोड किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <https://edistrict.up.gov.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।

[Handwritten signatures and marks]

उत्तर प्रदेश की अन्य पिछड़ी जातियों की सूची

- | | |
|---|--|
| 1. अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशी | 2. सोनार, सुनार, खर्बकार |
| 3. जाट | |
| 4. कुर्मी, चनऊ, कुर्मी-सैथवार, पटेल, पटनवार, कुर्मी-मल्ल | 5. गिरी |
| 6. गूजर | 7. गोसाई |
| 8. लोधा, लोधा, लोधी, लोट, लोधी-राजपूत | 9. कम्बोज |
| 10. अरख, अर्कवंशीय | |
| 11. काछी, काछी-कुशवाहा, शाक्य | 12. कहार, करयण |
| 13. केवट, मल्लाह, निषाद | 14. किसान |
| 15. कोइरी | 16. कुम्हार, प्रजापति |
| 17. कसगर | 18. कुजड़ा या राईन |
| 19. गड़ेरिया, पाल, बघेल | 20. गद्दी, घोसी |
| 21. चिकवा, कस्साब, कुरेशी, बक | 22. छीपी, छीपा |
| 23. जोगी | |
| 24. झोजा | 25. डफाली |
| 26. तनोली, बरई, चौरसिया | |
| 27. तेली, सामानी, रोगनगर, साहू, रीनियार, गन्धी, अर्राक | 28. दर्जी, इंदरीसी, काकुत्स्थ |
| 29. धीवर | 30. नक्काल |
| 31. नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो) | 32. नायक |
| 33. फकीर | 34. बंजारा, रंकी, मुकरी, मुकरानी |
| 35. बडई, सैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढ़िया, जांगिड़, धोमान | |
| 36. बारी | 37. बैरागी |
| 38. बिन्द | 39. बियार |
| 40. भर, राजभर | 41. भुर्जी, भड़मुजा, भूज, कांदू, कशोधन |
| 42. भठियारा | 43. माली, सेनी |
| 44. रवीधर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो), हलालखोर | 45. लोहार, लोहार-सैफी |
| 46. लोनिया, नोनिया, गोले ठाकुर लोनिया-चौहान | |
| 47. रंगरेज, रंगवा | 48. मारछा |
| 49. इलवाई, मोदनवाल | |
| 50. हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास | 52. सक्का-मिश्री, मिश्री-अब्बासी |
| 51. राय सिक्ख | |
| 53. घोषी (जो अनुसूचित जातियों या जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो) | 55. नानबाई |
| 54. केसरा, ठठरा, ताप्रकार | 57. शेख सरवारी (पिराई), पीराही |
| 56. मीरशिकार | 59. कोष्टा/कोष्टी |
| 58. मेव, मेवाती | 61. खुमरा, संगतराश, हंरीरी |
| 60. रोड़ | 63. खागी |
| 62. मोधी | 65. कतुआ |
| 64. लंवर सिंघाड़िया | 67. दांगी |
| 66. माहीगीर | 69. गांडा |
| 68. धाकड़ | 71. जोरिया |
| 70. लंतवा | 73. कलाल, कलवार, कलार |
| 72. पटवा, पटहारा, पटहरा, देववंशी | 75. मुराद, धुराई, गौर्य |
| 74. मनिहार, कवेर, लखेरा | |
| 76. मोमिन (अस्सार) | 78. मिरासी |
| 77. मुस्लिम कायस्थ | |
| 79. नददाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डरे, कड़ेरे, करण (कर्ण) | |



प्रमाण पत्र प्रारूप नं- 2

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए जाति प्रमाणपत्र का प्रारूप)

संख्या-----

दिनांक -----

(UPSC/UPST)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ----- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
----- निवासी ----- ग्राम-----

तहसील----- नगर-----
----- जिला-----

उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ (संविधान) अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश (आदेश), 1987 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी----- तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के
ग्राम----- तहसील----- नगर-----
जिला----- में सामान्यतया रहता है।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर-----
स्थान-----
दिनांक -----

हस्ताक्षर
पूरानाम
पदनाम तथा सील-----
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी
मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतनभोगी
मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

निर्धारित प्रारूप पर डिस्पैच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाणपत्र ही मान्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र का प्रारूप

<http://164.100.181.28/eDistrict/Certificate/Caste/Forms/printCer>

ई-डिजिटल के अन्तर्गत जारी



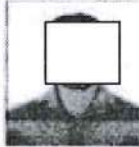
उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
तहसील
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

जारी दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि
पुरु/पुत्री
नामा का नाम
निकामी
ग्राम
तहसील
जिला



उत्तर प्रदेश राज्य की शासनात्मक जाति के अन्तिम हैं, जिन संविधान अनुसूचित जाति अधिनियम, 1950 (जो कि समय समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश) अधिनियम, 1957 के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के प्रारूप में मन्थना की गयी है।

तथा / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के मकान में, अल्लाहगढ़ी, बहादुरगंज ग्राम मोहल्ला तहसील कामिमाबाद जनपद गोरखपुर में सामान्यतया रहता है।




जारी कर्ता केन्द्र: दुर्ग विजय माहनी, सीएमएस जन सेवा केंद्र
पता: दुर्ग विजय माहनी, केन्द्र प्रचारी
स्वान: विलोक चन्दपुर, मोहम्मदाबाद, RAMGARH, कामिमाबाद, गोरखपुर
दिनांक:

हस्ताक्षर एवं मुहर

BIRAG PANDEY Digitally Signed by
BIRAG PANDEY
O=REVENUE
DEPARTMENT,
CU-REVENUE
DEPARTMENT(S)=UP
Pradesh

सहाय अधिकारी/तहसीलदार
दिनांक:

यह प्रमाण पत्र डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा जारी किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। डिजिटल सिग्नेचर के अधिकृत कर्ता द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.nic.in> पर इनका माहने आवेदन क्र० फिर प्रस्तावित क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures]

[Handwritten signature]

अनुसूचित जातियों की सूची (Schedule Caste of U.P.)

- | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|
| 1. अगरिया (सोनभद्र जिले को छोड़कर) | 2. बधिक | 3. बादी |
| 4. बहलिया | 5. बैगा (सोनभद्र जिले को छोड़कर) | 6. बैसवार |
| 7. बजनिया | 8. बाजगी | 9. बलहार |
| 10. बलाई | 11. बाल्मीकि | 12. बंगाली |
| 13. बनमानुश | 14. बांसफोड़ | 15. बरवार |
| 16. बसोड़ | 17. बावरिया | 18. बेलदार |
| 19. बेरिया | 20. भंतू | |
| 21. भुइया (सोनभद्र जिले को छोड़कर) | 23. बोरिया | 24. चमार, झुसिया, धुसिया, |
| 22. भुईयार जाटव | | |
| 25. चेरो (सोनभद्र और वाराणसी जिले को छोड़कर) | 26. दबगर | 27. धनगर |
| 28. धानुक | 29. धरकार | 30. धोबी |
| 31. डोम | 32. डोमर | 33. दुसाध |
| 34. घरामी | 35. घसिया | |
| 36. गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों को छोड़कर) | 37. ग्वाल | 38. हबूड़ा |
| 39. हरी | 40. हेला | 41. कलाबाज |
| 42. कंजर | 43. कपड़िया | 44. करवल |
| 45. खराहा | | |
| 46. खरवार (बनवासी को छोड़कर) (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, और सोनभद्र जिलों को छोड़कर) | 47. खटीक | |
| 48. खोरोट | 49. कोल | 50. कोरी |
| 51. कोरवा | 52. लालबेगी | 53. मझवार |
| 54. मजहबी | 55. मुसहर | 56. नट |
| 57. पंखा (सोनभद्र और मिर्जापुर जिले को छोड़कर) | 59. पासी, तरमाली | |
| 58. परहिया (सोनभद्र जिले को छोड़कर) | 61. रावत | |
| 60. पटरी (सोनभद्र जिले को छोड़कर) | 63. सिनोरिया | 64. सांसिया |
| 62. सहारया (ललितपुर जिले को छोड़कर) | 66. तुरैहा | |
| 65. शिल्पकार | | |

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची

- | | | | | |
|--|-----------|-----------|---------|---------------------|
| 1. थारू | 2. बुक्सा | 3. भोटिया | 4. राजी | 5. जन्नासरी/जौनसारी |
| 6. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पटारी, राज गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपदों में) | | | | |
| 7. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जनपदों में) | | | | |
| 8. सहरया (ललितपुर जिले में) | | | | |
| 9. परहिया (सोनभद्र जिले में) | | | | |
| 10. बैगा (सोनभद्र जिले में) | | | | |
| 11. पंखा, पनिका (सोनभद्र एवं मिर्जापुर जिले में) | | | | |
| 12. अगरिया (सोनभद्र जिले में) | | | | |
| 13. पटारी (सोनभद्र जिले में) | | | | |
| 14. चेरो (सोनभद्र एवं वाराणसी जिले में) | | | | |
| 15. भुइया, भुनिया (सोनभद्र जिले में) | | | | |

नोट:- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 यथासंशोधित के अनुसार आरक्षण अनुमन्य किया जाएगा।

(प्रपत्र- 1)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-.....

दिनांक-.....

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पति/पुत्री ग्राम/कस्बा.....

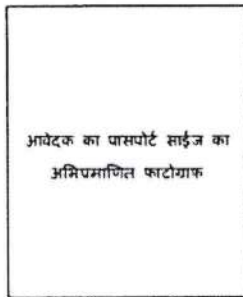
पोस्ट ऑफिस थाना

तहसील जिला राज्य

पिन कोड..... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
 - II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
 - III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
 - IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति के

सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।



हस्ताक्षर (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम

पदनाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी
मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

नोट— दिनांक 01.04.2025 या उसके बाद
का निर्गत होना चाहिये।

Download from UPYojana.net

(प्रपत्र- II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी
ग्राम/कस्बा पोस्ट ऑफिस
थाता ब्लाक तहसील
जिला राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के
प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :-

1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पतियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पतियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/ जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थान :-

दिनांक :-

संख्या-18/1/2008-का-2/2015

देखें,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्यिक अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक : 21 अप्रैल, 2015

DM/JAR

विषय :-

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित को राज्याधीन लोक सेवाओं में आरक्षण प्राप्त करने हेतु दिये जाने वाले आश्रित प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

Am
DM
31/4/15

"उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2015" के माध्यम से स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के रूप में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की पुत्री के पुत्र एवं पुत्री को सम्मिलित किया गया है।

938

25/5

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) में प्राविधानित स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के 'आश्रित' जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (ख) में परिभाषित है, के निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में सक्षम प्राधिकारी/ अधिकारी अर्थात् जिलाधिकारी द्वारा ही आश्रित प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायें।

3- अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त से अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों/ अधिकारियों को अवगत कराते हुए तदनुसंग कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक - यथोक्त

भवदीय

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या-18/1/2008(1)-का-2/2015-तददिनांक

उपयुक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 2) प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती निवासी
ग्राम-..... तहसील-..... नगर-.....
जिला-..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग,
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम,
1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/ श्रीमती/ कुमारी (आश्रित).....
..... पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र
की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपराक्त अधिनियम, 1993
(यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी).....
..... के आश्रित हैं।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर
पूरा नाम
पदनाम
मुहर

जिलाधिकारी
(सील)





केंद्रीय आयुष प्रवेश परामर्श समिति
Ayush Admissions Central Counseling Committee (AACCC)
(भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग)
(National Commission for Indian System of Medicine)



Ref.1/1/2025-AACCC

Dated: 24.08.2025

NOTICE

Kind Attention :- To all PwBD candidates who wish to participate in AACCC-UG Counseling-2025.

All the PwBD candidates who have registered themselves as PwBD candidates at NTA website during registration for NEET (UG)-2025 examination and want to avail benefits of 5% PwBD reservation in AIQ seats of Govt./Govt. Aided/Central Universities/National Institute of ASU & H-UG (BAMS/BSMS/BUMS/BHMS/B.Pharm-ITRA) Courses shall refer Information Bulletin, Counseling Scheme 2025 & FAQs, uploaded on portal and follow the instructions attached herewith.



भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार
कार्यालय: टी-19, पहली और दूसरी मंजिल, ब्लॉक-IV, धनवन्तरी भवन,
मार्ग नं. 66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली-110026
National Commission for Indian System of Medicine
Ministry of AYUSH, Govt. of India
Office: T-19, 1st & 2nd Floor, Block-IV, Dhanwantri Bhawan,
Road No. 66, Punjabi Bagh (West), New Delhi-110026



कर्मिक / Ref. No. BOA/AACCC/32/2024

दिनांक / Date 12.08.2025

To,

1. Ayush Admissions Central Counseling Committee, NCISM, New Delhi
2. State/UT Counseling Authorities (AYUSH)
3. Health Secretaries of all State Govt./Union Territories dealing with the Education of ASU,
4. Director of ISM & H of all State Govts./Union Territories,
5. Registrars of all Universities having faculty of ASU,
6. Principal/Dean/Directors of all ASU Colleges/Institute

Subject: Important Information for UG Counselling 2025 Candidates applying under the PwBD Category- regarding

Sir/Madam

With reference to the subject mentioned above I am hereby directed to inform you that all participating candidates of UG Counselling 2025 who want to apply under PwBD category that in compliance with the directives issued by the Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Om Rathod Vs. Union of India & Others and connected matters, the National Commission for Indian System of Medicine (NCISM) and National Commission for Homoeopathy, in its joint commission meeting discussed to review Appendix A and B of National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Ayurveda Education) Regulations-2022 with the objective to align the guidelines with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016, and the subsequent notification issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment (MoSJE) on 12.03.2024.

In this respect as per decision, in the meeting of Joint Commission, both the Commissions unanimously agreed to adopt interim Guidelines for the PwBD category issued by NMC for admissions for ASU courses in AY 2025-26 to ensure parity and standardization across medical education systems.

Accordingly, the NCISM has resolved that all candidates with benchmark disabilities, who possess a valid UDID card issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD) and further meet the NEET UG eligibility criteria, shall be considered for admission in BAMS/BUMS/BSMS course under the PwBD category.

Further, it is informed that, the following documents must be mandatorily submitted by PwBD candidates at the time of reporting to designated disability centers of MCC for obtaining disability certificates for the academic year 2025-26:

- NEET UG 2025 result demonstrating eligibility for the BAMS/BUMS/BSMS course.
- Valid UDID card (Yellow or above) issued by the DEPwD (excluding visual disabilities)
- Self-certified affidavits in the prescribed format, specific to the candidate's disability category, as provided in Schedule-I (Copy enclosed)
- The candidate will have to approach the designated Medical Board for verification of their self-certified affidavits.

In light of above facts, PwBD candidates participating in UG Counselling 2025 for ASU courses, are advised to note the following points w.r.t obtaining Disability Certificate for the purpose of upcoming NEET UG Counselling, from designated disability centers of MCC:

1

दूरभाष / Phone: सभापति/Chairman: 25221001, सचिव /Secretary: 25221006, कार्यालय /Office: 25221002/3, पंजीयन /Registration: 25221004
www.ncismindia.org / secretary@ncismindia.org

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- Candidates who wish to claim All India Quota seat under PwBD category are required to visit one of the 16 designated disability centres of MCC (List enclosed) and submit following documents at the centre to obtain the Disability certificate
 - NEET UG 2025 result demonstrating eligibility for the BAMS/BUMS/BSMS course.
 - Valid UDID card (Yellow or above) issued by the DEPwD (excluding visual disabilities)
 - Self-certification form in the prescribed format of NCISM as provided in Appendix-A (Copy enclosed)
 - Affidavits, specific to the candidate's disability category, in the prescribed format of NCISM as provided in Appendix-B to F (Copy enclosed)
- The certificate will be generated by the center as per details of disability mentioned on the UDID card, affidavit submitted by the PwBD candidate, fulfillment of eligibility criteria subject to Board assessment of functional competencies.
- For disabilities other than the one already discussed in respect of Locomotor, Hearing, Visual and SLD/ASD/ Mental illness, they will have to submit a valid UDID card and the self-certified affidavit prescribed in Appendix-A under the category "Others".
- Only those candidates who have obtained Disability certificate from a designated center of MCC will be shown choices of PwD seats for All India Quota.
- The disability certificate will be valid for this academic session only.
- Candidates who wish to avail PwBD seat under 85% State quota can visit state disability boards for obtaining certificates. However, evaluation has to be conducted by the state disability boards as per NCISM Guidelines (2025)

This is issued with the approval of the Competent Authority.


Sachidanand Prasad
Secretary, NCISM

Copy to:-

1. The Secretary to Govt. of India, Ministry of AYUSH, Ayush Bhawan, B-Block, 6th Floor, INA, New Delhi-110023.
2. Chairperson, National Commission for Indian System of Medicine, New Delhi-110026
3. Deputy Director General, Medical Counselling Committee, Directorate General of Health Services (DGHS), Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, New Delhi. Email ID - adgmc@nic.in
4. Chairman, National Commission for Homeopathy, New Delhi, Email ID - chair-nch@gov.in
5. All Boards Presidents, NCISM
6. Controller of Examination, NCISM, New Delhi
7. Guard file

सचिव/Secretary
SACHIDANAND PRASAD
सचिव/Secretary
भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग
National Commission for Indian System of Medicine
दस्तावेज, नया (दिल्ली), नई दिल्ली-110026
Punjab Bhagh (West), New Delhi-110026

/
Sachidanand Prasad
Secretary, NCISM

2



List of Disability Certification Centres who will issue Disability Certificates as per NMC norms to PwD candidates in support of their claim to avail 5% PwD reservation in UG/ Broad Speciality PG Courses

S.No.	Name of Disability Certification Centre	City/State	Specialties Available for which Disability Certificate can be issued as per category of Disabilities mentioned in Disability Certificate
1.	Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjang Hospital (VMMC & SJH)	New Delhi	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate except Visual disabilities category and Intellectual Disabilities & Behavioural disabilities.
2.	All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation (AIIPMR)	Mumbai	For Locomotor Disability only
3.	Institute of Post Graduate Medical Education & Research (IPGMER)	Kolkata	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
4.	Madras Medical College (MMC)	Chennai	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
5.	Grant Government Medical College, J.J. Hospital Compound	Mumbai, Maharashtra	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
6.	Goa Medical College	Goa	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate except Speech Disability.
7.	Government Medical College, Thiruvananthapuram	Thiruvananthapuram, Kerala	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate. Ophthalmology Tests to be conducted at Regional Institute of Ophthalmology, Thiruvananthapuram under GMC Thiruvananthapuram
8.	SMS Medical College	Jaipur, Rajasthan	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate except: 1. Neurology- Genetic Testing 2. ENT- Speech & Language Disability Testing Orthopaedics/ PMR- Gonitometer Adult. Plumb Line, Hand Dynamometer, Laser
9.	Govt. Medical College and Hospital, Sector 32	Chandigarh	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
10.	Govt. Medical College, Agartala, State Disability Board	Agartala, Tripura	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
11.	Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University,	Varanasi, Uttar Pradesh	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate except Intellectual Disability.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

12.	Ali Yavar Jung National Institute of Speech and Hearing Disabilities, Bandra, Mumbai	Mumbai, Maharashtra	For Hearing Disabilities only
13.	AIIMS, Nagpur	Nagpur, Maharashtra	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
14.	Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences & RML Hospital, New Delhi. (ABVIMS & RMLH)	New Delhi	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate except ENT For Visual Disability: Candidates who use LVAs may bring their own LVAs which can be checked.
15.	Lady Hardinge Medical College & Associated Hospitals (LHMC)	New Delhi	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
16.	All India Institute of Speech and Hearing (AIISH), Mysuru	Mysuru, Karnataka	For Speech & Hearing Disabilities only

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग National Commission for Homoeopathy

Jawahar Lal Nehru Bhartiya Chikitsa Aum Homoeopathy Anusanchan Bhawan 61-65, Institutional Area, Opp 'D' Block Janakpur, New Delhi-110058

Ph.: 011-28522906 | Email id: secy-nch@gov.in | Website: www.nch.org.in



File No. 3-97/2025/NCH/HEB/AACCC

5373-5385

Dated 14 AUG. 2025

To

1. The Principal Secretary/Secretary, (Department of AYUSH / ISM& Homoeopathy / Medical Education / Health & FW -All State U.T.
2. The Commissioner/Director (Directorate of AYUSH / ISM& Homoeopathy / Medical Education/Health & FW- All State & U.T.
3. The Chairman, Ayush Admissions Central Counseling Committee (AACCC)-Ayush, Dhanwantri Bhawan, Punjabi Bagh West, New Delhi.
4. The Chairman, Counselling Authority/ Committee (Directorate of AYUSH / ISM& Homoeopathy/Medical Education/Health & FW- All State & U.T.
5. The Registrar of University (Including Deemed Universities) having affiliated/Constituent Homoeopathic Medical Colleges - All State & U.T.
6. The Registrar, Homoeopathic Board/ Council - All State & U.T.
7. The principal of all the Homoeopathic Medical Colleges and Hospital (including Director, N.I.H. Kolkata & NEIAH, Shillong).
8. All Homoeopathic Associations and Federation/Society & General Public

Sub: Information for candidates applying under the Persons with Bench Mark Disability (PwBD) Category, UG Ayush-Homoeopathy Counseling 2025 - reg.

Madam/Sir,

With reference to the above cited subject the under signed is directed to convey that with the objective to align the guidelines with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act 2016, and the subsequent notification issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment (MoSJE) on 12.03.2024 and subsequent compliance to the directives given by the Hon'ble Supreme Court of India by the order passed in petition of Om Rathod Vs. Union of India & Others and connected matter, the joint meeting of the National Commission for Indian System of Medicine (NCISM) and National Commission for Homoeopathy (NCH), was held.

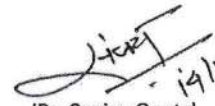
Accordingly it was decided to review the regulatory provisions and to adopt interim Guidelines for the PwBD category as issued by NMC in similar situation, for the aspirant candidates participating admissions in UG Ayush-Homoeopathy Counseling for the AY 2025-26 to ensure parity in standards across the different medical education systems.

Conclusively, it is resolved that all candidates with benchmark disabilities, who possess a valid UDID card issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD) and who also meet the NEET UG eligibility, shall be considered for admission in BHMS course AY 2025-26, under the PwBD category. Further candidates who wish to avail PwBD category seat under State quota can obtain certificate from the respective state disability board.

The interim guidelines on assessment method for granting admissions to PwBD candidates for admission in under graduate BHMS course, AY 2025-26 are hereby enclosed for necessary compliance.

This issues with the approval of Competent Authority of the Commission.

Enclosure- As above.


(Dr. Sanjay Gupta)
Secretary

Copy to:-

1. The Secretary , Govt. of India, Ministry of AYUSH, Ayush Bhawan, New Delhi-110023.





राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग National Commission for Homoeopathy

Jawahar Lal Nehru Bhartiya Chikitsa Avum Homoeopathy Anusandhan Bhawan- 61-65, Institutional Area, Opp 'D' Block Janapuri, New Delhi-110038

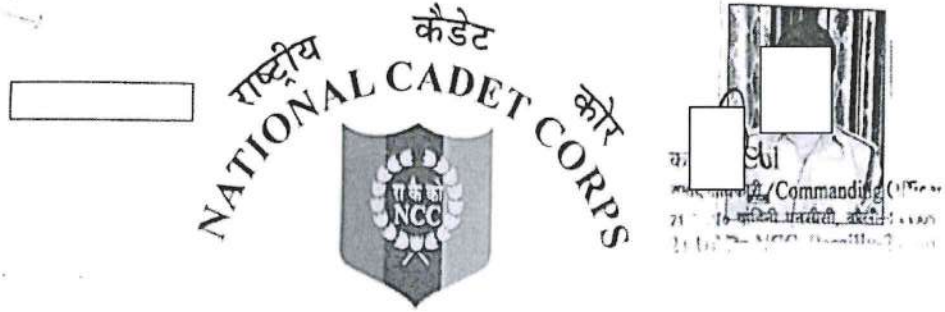
Ph.: 011-28522906 | Email id: secy-nch@gov.in | Website: www.nch.org.in



2. The Chairperson(I/C), National Commission for Homoeopathy, New Delhi.
3. The Chairperson, National Commission for Indian System of Medicine, New Delhi.
4. The Deputy Director General, Medical Counseling Committee, Directorate General of Health Services (DGHS), Ministry of Health and Family Welfare, Government of India-110026, New Delhi.
5. The President- All Autonomous Boards of the National Commission for Homeopathy
6. Guard file

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

एन०सी०सी० प्रमाण-पत्र का प्रारूप



प्रमाण - पत्र 'सी'
CERTIFICATE 'C'

सं. यूपीएसडी / No. UPSD/16/	रैंक कैडेट Rank CADET
नाम शुभेन्द्र आदित्य Name	सुपुत्र/सुपुत्री नेत राम Son/Daughter
यनिट BAREILLY	जन्म तिथि Date of Birth
राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय NCC Directorate	यूपी लखनऊ UP, LUCKNOW

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर लिखित कैडेट ने रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन सन् 20¹⁹ में हुई प्रमाणपत्र 'सी' परीक्षा 'बी' श्रेणी में पास कर ली है

This is to certify that the above mentioned Cadet has passed the Certificate 'C' Examination in "BEE" Grade held in 20 19 under the authority of ministry of Defence, Government of India.

क्र. सं.
Ser. No. UPSD/C Cert/Army

स्थान लखनऊ
Place LUCKNOW

दिनांक
Date

(अर)
दिनांक
स्थान
NCC Directorate (UP)

उप-महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर
Dy. Director General, National Cadet Corps.

भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रारूप

ELIGIBILITY CERTIFICATE

1. This is to certify that ☒ Mr/Miss/Mrs. is the
Son/daughter/widow/wife of No. Rank P.O.

2. His/Her date of birth as recorded in the service document and Matriculation certificate is

3. The above named individual:

Priority-I : Widows/Wards of Defence personnel killed in action.

Priority-II : Wards of disabled in action and boarded out from service

Priority-III : Widows/Wards of Defence personnel who died while in service with death attributable to military service.

Priority-IV : Wards of disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.

Priority-V : Wards of Ex-Servicemen and serving personnel who are in receipt of Gallantry Awards:-

Priority-VI : Wards of Ex-Servicemen.

Priority-VII : Wives of:

(i) Defence personnel disabled in action and boarded out from service.

(ii) Defence personnel disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.

(iii) Ex-servicemen and serving personnel who are in receipt of Gallantry Award.

Priority-VIII : Wards of Serving Personnel.

Priority-IX : Wives of Serving Personnel.

4. Son/Daughter/wife/widow of No.
Rank P.O. Name

is eligible for Nomination as a Govt. of India nominee under Ministry of Defence quota for admission in Medical/Dental Colleges in Priority V.I.

No.

Dated:

Stamp 

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास
COLOC Unit 200000

COUNTERSIGNED

Dated:

Stamp

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड के उच्चाधिकारियों अथवा सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ही मान्य होंगे।

Note: For serving personnel eligibility certificate will be signed only by CO Unit or OIC Record.

Annexure 9

- **राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालयों के नाम, प्रधानाचार्य का नाम, मोबाइल नम्बर एवं कालेज की ई-मेल आईडी, वेबसाइट हाइपरलिंक एवं जिओ टैग फोटो का विवरण।**

क्र० सं०	कालेज का नाम	प्रधानाचार्य का नाम एवं मो०न०	कालेज की ई०मेल आई०डी	कालेज वेबसाइट हाइपरलिंक	जियो टैग फोटो
1	राजकीय तकमिल उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रमाबाई स्थल, लखनऊ।	प्रो० अब्दुल कवी 9826212048	sttcollegean dhospital@g mail.com	https://sttcollegeko.com	
2	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज -211016	डा० वसीम अहमद, 9371566384	sumcallahab ad@gmail.c om	https://www.sumc.in/	

- **राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालयों के नाम, प्रधानाचार्य का नाम, मोबाइल नम्बर एवं कालेज की ई-मेल आईडी, वेबसाइट हाइपरलिंक एवं जिओ टैग फोटो का विवरण।**

क्र० सं०	कालेज का नाम	प्रधानाचार्य का नाम एवं मो०न० तथा ई०मेल	कालेज की ई०मेल आई०डी	कालेज वेबसाइट हाइपरलिंक	जियो टैग फोटो
1	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, टुड़ियागंज, लखनऊ।	प्रो० दिनेश कुमार मौर्य 9456914676	statayurlko @gmail.com	https://sacilko.in	
2	ललित हरि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, पीलीभीत।	प्रो० सुदीप सहाय बेदार 7398123381	lhac_plb@re diffmail.com	https://www.lhsacpilbhit.in	
3	राजकीय एस०आर०एम० आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, बरेली।	प्रो० प्रीति शर्मा 9411919529	srmracbrly@g mail.com	http://www.ayurvediccollegebareilly.in/	
4	लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, हण्डिया, प्रयागराज।	प्रो० केदारनाथ उपाध्याय 9415285979	gachandia82 @gmail.com	http://www.gac-handia-alld.org/	



5.	राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, वाराणसी।	प्रो० नीलम गुप्ता 9415624840	racvaranasi65@gmail.com	http://racvns.co.in/	
6	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, झांसी।	प्रो० रामकृष्ण राठौर 9411020092	ayurvediccollegejhansi@gmail.com	https://ayurvediccollegejhansi.com/	
7	स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, मुजफ्फर नगर।	प्रो० विनीता त्यागी 9412003351	swamiayumzn@gmail.com	http://skdgacmzn.in	
8	राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, अतर्रा बांदा।	प्रो० आशीष अग्रवाल 9415465196	racatarra1995@gmail.com	https://www.gacatarra.in/	

➤ राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालयों के नाम, प्राचार्य का नाम, मोबाइल नम्बर एवं कालेज की ई-मेल आईडी, वेबसाइट हाइपरलिंक एवं जिओ टैग फोटो का विवरण।

क्र० सं०	कालेज का नाम	प्राचार्य का नाम एवं मो० न०	कालेज की ई०मेल आईडी	कालेज वेबसाइट हाइपरलिंक	जियो टैग फोटो
1	राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, शांतीपुरम, फाफामऊ प्रयागराज -211013	प्रो० (डा०) हेमलता 7518181848	homoallahabad013@gmail.com	http://www.statelbshmc.com	
2	राजकीय पं० जवाहर लाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, कानपुर- 208024	प्रो० हर्षवर्धन सिंह भदौरिया 9826448686	pjlnrhmc@gmail.com	http://Jawaharhmcgov.co.in/	
3	राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, गोमतीनगर, लखनऊ-226010	प्रो० विजय कुमार पुष्कर 9415466529	nhmclko03@gmail.com	https://nhmclucnknow.com	
4	राजकीय डा० बृजकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल देवकाली, अयोध्या- 224001	डा० अशीष कुमार सिंह 9795390211	principalbkhm@gmail.com	https://bkhmcayodhya.in	

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

5	राजकीय गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल रौजा, गाजीपुर- 233001	प्रो० राजेन्द्र सिंह 9827004022	ghmcgzp@gmail.com	http://www.shmcgz.ac.in	
6	राजकीय के०जी०के० होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लाईनपार मुरादाबाद -244001	प्रो० प्रमोद कुमार सिंह 8979705859	principalkgkhamcollege@gmail.com	https://www.kgkhomoeocollege.org/	
7	राजकीय श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल चण्डेश्वर, आजमगढ़ -276128	प्रो० राय साहब यादव 9415892121	principalsdjh13@gmail.com	https://www.sdhmc.ac.in/	
8	राजकीय शहीद राजा हरि प्रसाद मल्ल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल बड़हलगंज, गोरखपुर -273402	प्रो० राजेश कुमार वर्मा 9918877844	principalshmcg@gmail.com	https://www.shmcg.ac.in	
9	राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, छेरत, अलीगढ़- 202122	प्रो० राम अशीष यादव 9454723873	rhmcgcaligarh@gmail.com	https://www.shmca.ac.in	

➤ निजी क्षेत्र के होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालयों के नाम, प्राचार्य का नाम, मोबाइल नम्बर एवं कालेज की ई-मेल आईडी, वेबसाइट हाइपरलिंक एवं जिओ टैग फोटो का विवरण।

क्र० सं०	कालेज का नाम	प्रधानाचार्य का नाम एवं मो०न० तथा ई०मेल	कालेज की ई०मेल आईडी	कालेज वेबसाइट हाइपरलिंक	जियो टैग फोटो
1	बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, ग्रेटर नोएडा।	डा० सी०पी० शर्मा 9899101747	college@bakson.net	https://baksonhmc.com/	

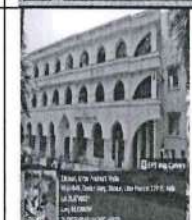
[Handwritten signatures and marks in blue ink]

2	जी0सी0 होम्योपैथिक कालेज एवं रिसर्च सेन्टर, बक्शी का तालाब, लखनऊ।	डा0 एजाज अजीज सुलेमानी 8175954582	ps.chairman @gcrgr.in	https://gcherc.in	
3	सिंह साहब होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गुलेरिया, अमरोहा	डा0 मनीष चन्द्र सिंह 8931960244	sshmccollege @gmail.com	www.sshmccollege.com	
4	नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, तहसील-एत्मादपुर, आगरा।	डा0 पंकज त्रिपाठी 8193896320	nhmcagra@ gmail.com	https://naiminath.org/	

➤ निजी क्षेत्र के यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालयों के नाम, प्रधानाचार्य का नाम, मोबाइल नम्बर एवं कालेज की ई-मेल आईडी, वेबसाइट हाइपरलिंक एवं जिओ टैग फोटो का विवरण।

क्र0 सं0	कालेज का नाम	प्रधानाचार्य का नाम एवं मो0न0 तथा ई0मेल	कालेज की ई0मेल आईडी	कालेज वेबसाइट हाइपरलिंक	जियो टैग फोटो
1	इब्ने सीना तिब्बिया कालेज एण्ड हास्पिटल, बीनापारा बाया सरायमीर आजमगढ़-276001	डा0 मोहम्मद अजमल 9450738768	istchbp.azamgarh@yahoo.co.in	https://ibnesinatibbiya.org	
2	जमिया तिब्बिया देवबन्द, जी-टी, रोड, देवबन्द-247554 जिला-सहारनपुर	प्रो0 अनवर सईद 9897842060	info@jamiatibbiya.com	https://jamiatibbiya.com	
3	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर देवबन्द, नया बॉस निकट तलहेड़ी चुंगी, देवबन्द, सहारनपुर- 247554	डा0 मोहम्मद असलम 9259083758	dumc_deoband@rediffmail.com	http://www.dumc.co.in	

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

4	अलीगढ़ यूनानी एवं आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अनूप शहर रोड, अलीगढ़-202127	प्रो0 अहमद नदीम खान 9411488834	1993uni0309/ @gmail.com	https://www.aligarhunaniccollege.com	
5	इरम यूनानी मेडिकल कालेज, कुर्सी रोड, गुडम्बा, लखनऊ-226026	प्रो0 अब्दुल हलीम 9307219807, 9918054727	eumclucknow@ gmail.com	https://eumclucknow.com	
6	डा0 अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एण्ड हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद लखनऊ-226101	प्रो0 सिराजुद्दीन खान 9454598343	draatch@gmail. com	http://draatch.org/	
7	हयात यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, हयात कम्पलेक्स, हरदोई रोड, काकोरी, लखनऊ-226101	प्रो0 मशहूर रहमान 7459969090	info@hayatumc .com	https://hayatumc.com/	
8	शम्म-ए-गौसिया माइनारिटी यूनानी मेडिकल कालेज, सहेड़ी, मोहल्ला- बरबरहना हिम्मत खान की मस्जिद, जिला- गाजीपुर।	प्रो0 गज़नफर इमाम 9415983027	sgmaumc@redi ffmail.com	www.shammegroup.org	
9	ग्लोकल यूनानी मेडिकल कालेज हास्पिटल, ग्लोकल यूनिवर्सिटी कैम्पस, मिर्जापुर पोल, सहारनपुर -247001	प्रो0 रेहान सफी 9960968350	principal@gloca lunaniccollege.in	https://www.glocalunaniccollege.in	
10	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर।	प्रो0 मुश्ताक हुसैन 9897632081	aiumc@hotmail.c om	www.aiumc.org	

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

- निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालयों के नाम, प्रधानाचार्य का नाम, मोबाइल नम्बर एवं कालेज की ई-मेल आईडी, वेबसाइट हाइपरलिंक एवं जिओ टैग फोटो का विवरण।

क्र० सं०	कालेज का नाम	प्रधानाचार्य का नाम एवं मो०न० तथा ई०मेल	कालेज की ई०मेल आईडी	कालेज वेबसाइट हाइपरलिंक	जियो टैग फोटो
1	धनवंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मीरगंज, बरेली।	डा० किशोर चन्द्र प्रधान 9410405769 6398806366	mgfayur@gmail.com	www.damcbareilly.in	
2	आर०बी० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, जलेसर रोड, आगरा।	डा० ईश्वर चन्द राय 9458257822 8077192259	rbamc.agra@gmail.com	www.rbamc.in	
3	कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रिसर्च सेन्टर एण्ड हास्पिटल, ग्राम व पोस्ट- गौरहा, कासगंज।	डा० नागेन्द्र सिंह 8340255460	knpijsj@gmail.com	www.kamcrc.com	
4	श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, भाऊपुर, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद।	डा० मंजूनाथ एन.एस. 9839012371 9670566661 9721279797	2015ayu0356jsj@gmail.com	www.sbsjsmc.com	
5	संस्कृति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, छाता, मथुरा।	डा० मोहनन एम० 9359688846 9557414918	info@sanskriti.edu.in, sanskritiayurvedic@gmail.com	www.sanskriti.edu.in/ayurvedic	
6	एन्काइट आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, परवर पूरब, मोहनलालगंज, लखनऊ।	डा० इन्द्रेण कुमार सिंह 9721244400	ankerite_2006@yahoo.com	www.medicalcollege.ankeritegroup.com	
7	फ्यूचर इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज साइंसेज, फरीदपुर, बरेली।	डा० बी०के० सिंह 9837318106	futureinstitutions2009@gmail.com	www.futureiam.s.org	
8	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, अलीगढ़।	डा० रवि नारायण महन्ता 9927742600	jjpmcollege@gmail.com	www.ayurvedicmedicalcollege.com	

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

9	इन्स्टीट्यूट आफ आयुष मेडिकल साइन्सेज, विमलार्जुन नगर भागूखेड़ा मोहनलालगंज, लखनऊ।	डा0 एस0के0 महापात्रा 8303784336 6393664635	iamsayucollege@gmail.com,	www.iamscollege.co.in	
10	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेदिक संस्थान कोइलहा, कौशाम्बी।	डॉ0 विनोद कुमार 7524037425	shivprakashsingh1978@gmail.com, cssas.allahabad@gmail.com	www.cssas.org	
11	बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, लाडनपुर कोपागंज, मऊ।	डा0 मनोज कुमार कौशल 9721104818 9792000299	prakash0manish@gmail.com	www.bamch.org.in	
12	इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद मेजर एस0डी0 सिंह यूनिवर्सिटी, भोजपुर कानपुर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद।	डा0 अम्बरीश कुमार बाथम 7007694973 9554964671	drambrishayush@gmail.com	www.sbsdaddujiaaydmch.org	
13	अरनव आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड सी0एन0एस0 आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सतरिख, बाराबंकी।	डा0 चिरंजीवी चेल्ले 7019197882 9839182544	principalaamc2005@gmail.com	www.arnavayurvedicalcollege.com	
14	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, बरेली।	डा0 जी0 वनजा रानी 9642224621	gangasheel.ayurveda@gmail.com	www.gangasheelayurvedacollege.org	
15	श्री सत्या आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, धनुपुरा, मुरादाबाद।	डा0 कपिल शर्मा 9808080567	2017ayu0498@gmail.com	www.ssamch.com	
16	प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, आगरा रोड, हाथरस।	डॉ0 सरोज गौतम 9319681038 9458257822 8077192259	rbamc.agra@gmail.com	www.premraghuayurvedicalcollege.com	
17	एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसीन एवं हास्पिटल, चुनार, मिर्जापुर।	डा0 प्रभात कुमार सिंह 9415204632 9893926205	aims.mzp@gmail.com	www.apexims.in	
18	सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड महामृत्युंजय हास्पिटल, इटोरा चन्देश्वर आजमगढ़।	डा0 निलेश प्रभाकर मसूरकर 8266947965 9792577779	sdayurvedamh@gmail.com	sarvdevayurveda.in	

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

19	विमला फैमिली आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, हरदौली कानपुर नगर।	डा० ओमवीर सिंह 9336170403 8874333333	vimlafamilyamc@gmail.com	www.vimlagroup.com	
20	एस०के०एस० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, छाता, मथुरा।	डा० भूपेश शर्मा 8755710922	sksayurvedic@gmail.com	https://www.sksayurvedic.com	
21	वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय, खुर्जा, बुलन्दशहर।	डा० अशोक द्विवेदी 9837349992 89576 31677	2002ayu0253@gmail.com	www.vydsayurvedmahavidyalaya.org	
22	एस०सी०पी०एम० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हारीपुर, गोण्डा।	डा० सिम्पल चौहान 9839673554 9532745186	2017ayu0460@gmail.com	www.scpmgroupp.org	
23	श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, ग्राम डूंगरावली परतापुर बाईपास रोड मेरठ।	डा० साबिहा बानो 9690357604 9536901209 9871111777	shriramamc@rediffmail.com	shreeramamc.org	
24	चरक आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, पंछी, मेरठ।	डा० ज्योतसना 9560205965	charakayurvedichospital@gmail.com	www.charakayurvediccollege.com	
25	महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मेरठ।	डा० अनुपम सिंह 8279401470 73007 40163	info@mahaveertechhnologies.com	www.mahaveerayurveda.org.in	
26	ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, नालेज पार्क, ग्रेटर नोएडा।	प्रो० सुभान अली अकाब 9818180933 8448797705	info@ishanayurved.com	www.ishanayurved.com	
27	दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, अजीतमहल, निवारी रोड, मोदीनगर गाजियाबाद।	डा० शारदा 9690846336 9886540088	djayurmedical@gmail.com	www.djayurvedacollege.org	
28	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइन्सेज एवं रिसर्च सेन्टर, लखनऊ।	डा० आर०के० सिंह 7749655555	2016ayu0512@gmail.com	www.spiamsr.org	

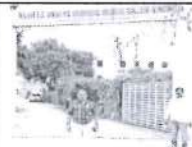
[Handwritten signatures and marks in blue ink]

29	जी0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, एण्ड हास्पिटल, एन0एच0 24 पिलखुआ, हापुड।	डा0 भावना सिंह 9873123002 9084734427	gsmedicalcollege@gmail.com, hr.gsamedicalcollege@gmail.com	www.gsayurvedaMedicalCollege.com	
30	कृष्णा आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हासमपुर, पो0 झालू जिला बिजनौर।	डा0 संदीप अग्रवाल 90455 40757 9319577700	krishnaeducationaltrust2014@gmail.com	www.krishnaayurvediccollege.in	
31	श्री कृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द, चोलापुर वाराणसी।	डा0 आर0डी0 तिवारी 9415202299 9250625541	shrikrishnaamc@gmail.com	www.shrikrishnaayurvedichospital.com	
32	आर0के0 आयुर्वेदिक मेडिकल एण्ड हास्पिटल, सटियांव, आजमगढ़।	डॉ0 के0एन0 यादव 9451551275 7983001492	rkayurvedicmedicalcollege@gmail.com 2016ayu0433@gmail.com	www.rkamc.org.in	
33	श्री सन्तनपाल सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मिर्जापुर, शाहजहाँपुर।	डा0 हनी एस0 आर0 प्रसाद 9473644444	santapalsingh@gmail.com	www.sssamc.in	
34	गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, लखनऊ।	डॉ0 अविनाश चन्द श्रीवास्तव 8174011113 9839234578 8874205304	md.goelgroup@gmail.com	www.gamchoel.edu.in	
35	ए0एन0ए0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मीरगंज, बरेली।	डॉ0 एच0 हरीहरा प्रसाद राव 9719233333	rahulanand.ana@gmail.com	www.anaamch.org.in	
36	भगवन्त आयुर्वेदिक कालेज एवं हास्पिटल, मुजफ्फर नगर।	डा0 अजय कुमार शर्मा 7830601000	2017ayu0506@gmail.com	www.bhagwantgroup.com	
37	रोहिलखण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, दोहरा रोड बरेली।	डा0 आर0के0 तिवारी 9412822332 8755922339	ramchorg@gmail.com	www.ramch.in	

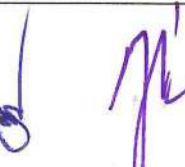
[Handwritten signatures and marks in blue ink]

48	संजीवनी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, कुडाना, अमरोहा।	डॉ० कुमुदनी प्रदीप पवार 9837316618	2016ayu0372@gmail.com	www.smcjpnagar.com	
49	प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एव हास्पिटल, एण्ड रिसर्च सेन्टर ग्राम बक्काखेडा, माल, मलिहाबाद रोड, लखनऊ।	डा० रूपाली महादिक 9335927927 9936247930	prabuddhamchrc@gmail.com	pamchrc.com	
50	ग्लोकल कालेज आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च सेन्टर, मिर्जापुर, सहारनपुर।	डा० जॉन फिनबे 8281358227 9495050003	principal@glocalayurvedacollege.in	www.glocaluniversity.edu.in	
51	स्वाती हास्पिटल एवं आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, तवली, मुजफ्फरनगर।	डॉ० सतीश चन्द तिवारी 7900571971 9368665043	swatihospitalandmedicollege@gmail.com	www.swatihospitalamc.org.in	
52	डा० शकुन्तला आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, नयनसंद, गौराबादशाहपुर, जौनपुर।	डा० बिना त्रिपाठी 9044124004	drsamch2023@gmail.com 2023ayu0728@gmail.com	www.drshakuntalaayush.in	
53	भारतीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, जे०पी० नगर।	डॉ० सीमा अग्रवाल 7417578312	2017ayu0508@gmail.com	www.bmcjpnagar.com	
54	आर०जी०एस० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, करौंदी, बक्शी का तालाब, लखनऊ।	डा० अरुण कुमार पाणिग्रही 8299818594 9336018000	rgsahc23@gmail.com	www.rgsayurvedicollege.in	
55	प्रकाश इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, झोंझर, बुलन्दशहर।	डा० जगन्नाथ केशव हरयाण 8149480997	prakashayurvedic@yahoo.com, ayurvedprakash9@gmail.com	www.prakashayurvedicinstitute.in	
56	बाबा विश्वनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मरतीगंज, आजमगढ़।	डॉ० मनोरमा मिश्रा 9721458127	2021ayu0548@gmail.com	www.bvamch.com	
57	नैमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, कुबेरपुर, आगरा।	डा० प्रदीप कुमार श्रीवास्तव 8193896320 9837751453	namcagra@gmail.com	naiminathayurveda.org	

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

58	आई0टी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, चेहारी, फरेन्दा रोड, महाराजगंज।	डा0 हरनारायण डे 8957098160, 9838627267	itmbams5487@gmail.com	www.itmamch.in	
59	कृतिका आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, नवाबगंज, बरेली।	डॉ0 सतीश कुमार पण्डा 9457697581, 8218200507	kamch.bly@gmail.com	www.kritikaayurvediccollege.in	
60	एस0के0 मिश्रा अनिता आयुर्वेदिक कालेज, ताजपुर गरहा, लालगंज आजमगढ़।	डॉ0 शान्तनु दास 7008607748	skmanita2020@gmail.com	www.skmamc.org	
61	डा0 कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, झांसी।	डा0 सी0के0 राजपूत 9415948930 7860171970	drkgdamchjhansi@rediffmail.com	www.drkgdwi.vediyurvediccollegejhansi.com	
62	शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, आजमगढ़।	डॉ0 सचिदानन्द वंगापति 9886173100 8850404576	shivalikayurvedicollege@gmail.com	www.samcollegeam.com	
63	आई0आई0एम0टी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मेरठ।	डॉ0 सुजीत कुमार दलाई 8280170678 8766159485	principal_ayurveda@iimtinda.net	iimtayurvedicollege.ac.in	
64	गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, सोनबरसा बालापार मानीराम, गोरखपुर।	डॉ0 गिरीधर वेदान्तम 9731028625 9995635703	principal.ayurveda@mgug.ac.in	www.ayurveda.mgug.ac.in	
65	डा0 सर्वेश कुमार शुक्ला आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज फखरपुर, महसी, बहराईच।	डॉ0 आनन्द कुमार चौरसिया 7800009791 9569182641	sks.ayurved1@gmail.com	www.drsksamc.com	
66	सत्यराज आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मीरगंज, बरेली।	डा0 वीरेन्द्र प्रताप 9956108080	satyarajcharitabletrust@gmail.com	www.satyarajamch.com	
67	मेजर एस0डी0 सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, बेवर रोड, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद।	डा0 अंजना दीक्षित 9935043325 9838335151	majorsdsinghayd@gmail.com	www.majorsds.pgamc.org	

[Handwritten signatures and marks]

68	द्रोणाचार्य आयुर्वेदिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एण्ड हास्पिटल, खुशालीपुर, सहारनपुर।	श्री आनन्द कुमार पाण्डे 9389677204	dronacharyaayurvedic co@gmail.com	www.dronacharyaayurvediccollege.com	
69	श्री राम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ।	डा० अनुराग दीक्षित 9415335166 9984815390	srvamch@gmail.com	www.srvamch.com	
70	श्री धनवंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर छाता, मथुरा।	डा० बसन्त पाराशर 9311110180 9266949401	sdamcrc@yahoo.com	shri.dhanwantrigroup.com	
71	मंगलायतन आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव रिसर्च सेन्टर, अलीगढ़।	डॉ० मनोज कुमार 9468287376	2021ayu0642@managalayatan.edu.in	www.managalayatan	
72	एम०डी० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव हास्पिटल, सिकन्दरा, आगरा।	डॉ० अतिथि एस०एस० 7906044057 8129191745	mdayurvedicagra@gmail.com	mdayurvediccollege.in	
73	जीवक आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव हास्पिटल, रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, चन्दौली।	डॉ० गोपाल दास गुप्ता 9453220180	jeevakhospital125@gmail.com	www.jeevakaycollege.com	
74	रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मन्धना, कानपुर।	डा० गुरुप्रसाद 7200715452	principal.ramch@ramauniversity.ac.in	www.ramaayurveda.com	
75	एस०ए०एस० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हरहुआ, वाराणसी।	डा० देवेन्द्र सिंह 8765624982	sasayurveda@gmail.com	www.sasayurveda.com	
76	सी०एस० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मरेहारा रोड, एटा।	डॉ० रवि कुमार 6398263677	2021ayu0554@gmail.com	www.csayurvediccollege.com	
77	महाराणा प्रताप आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, ईश्वरगंज, बैकुण्ठपुर, विठूर रोड, कानपुर नगर।	डा० बंशपति प्रसाद पटेल 9754346913	principal.mpamc@mpgi.edu.in	www.mpamc.in	
78	एस०आर०एस० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सिकन्दरपुर ग्वालीयर रोड, आगरा।	डा० गजेन्द्र सिंह 8433453348 9548910483	drhari.bhadoria@gmail.com	www.srsamc.co.in	

[Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page]

79	सहारनपुर आयुर्वेद मेडिकल कालेज, हास्पिटल ग्रा0 व पोस्ट संसारपुर, सहारनपुर।	डा0 प्रत्युष कुमार 9761637365 8126189629	sanskarss2016@gmail.com	saharanpurhospital.in	
80	डा0 विजय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर ग्राम-भन्दहा कला पोस्ट कैथी वाराणासी।	डॉ0 उमेश चौधरी 7522803040 7522803041	2015ayu0436@gmail.com	www.dvamch.in	
81	कुँवर शेखर विजेन्द्र आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं रिसर्च सेन्टर आदर्श इन्स्टिट्यूट एरिया बाबू विजेन्द्र मार्ग गंगोह सहारनपुर।	डॉ0 विकास शर्मा 7830810052 9917386106	2014ayu0336@shobhituniversity.ac.in	www.sug.ac.in	
82	शम्म-ए-गौसिया माइनाँरिटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, सहेरी, गाजीपुर	प्रो0 गज़नफ़र इमाम 9415983027	sgmpgaumc@gmail.com	www.sgmpgaumc.org	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

